कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी

ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम, इवाकरा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश मंडी में कालीन की बुनाई में जुटी महिलाएं। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को शिल्प प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम, इवाकरा के अंतर्गत महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करती हुईं।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए। लघु कथाओं का भी स्वागत है। अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है। 'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने व अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

वर्ष 39 अंक 11 भाद्रपद-आश्विन 1916, सितम्बर 1994

कार्यकारी संपादक	:	बलदेव सिंह मदान
उप संपादक	:	ललिता जोशी

उप निदेशक (उत्पादन)	:	एस.एम. चहल
विज्ञापन प्रबंधक	:	बैजनाथ राजभर
सहायक व्यापार व्यवस्थापक	:	अनिल दुग्गल
आवरण सज्जा	:	अलका

एक प्रति : तीन रुपये वार्षिक चंदा : 30 रुपये

फोटो साभार : रमेश चंद्र, फोटो प्रभाग, ग्रामीण-विकास मंत्रालय

इस अंक में

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नई पहल :

गरीबी उन्मूलन की सशक्त योजना	रामेश्वर ठाकुर	3
ग्राम-विकास में महिलाओं की भूमिका	नवीन पंत	9
ग्रामीण विकास और महिलाएं	रामजी प्रसाद सिंह	11
ग्रामीण महिलाओं के लिए राज्य की विकास नीति	डा० अलका कुशवाहा	13
ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी	मोहनदास नैमिशराय	17
युवा महिलाओं के सर्वांगीण विकास की एक योजना	अनीता जोशी	20
गांवों से पलायनः रुके तो कैसे?	पूरन सरमा	22
ममता (कहानी)	सुधीर 'ओखदे'	24
कापार्ट ने ग्राम विकास के नए कपाट खोले	वेद प्रकाश अरोड़ा	26
समग्र द्रष्टा आचार्य विनोबा भावे	सुरेश 'आनंद'	30
ग्रामीण उपभोक्ता : शोषण से संरक्षण तक	अजिताभ सिन्हा 'अजित'	38
ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संचार माध्यमों का दायित्व	किरन सिंह	41
भाबड़ घास लगाओ और आमदनी बढ़ाओ	एस. पी. मित्तल	43

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 384888

पाठकों के विचार

'कुरुक्षेत्र' के जून 1994 अंक के सभी आलेखों को पढ़ा। यह अंक सारगर्भित आलेखों से लबालब भरा है। डा० कृष्ण कुमार सिंह का "ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों की भूमिका" शीर्षक लेख में बेरोजगारी, अर्द्ध बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी के साथ-साथ कृषि पर बढ़ती अतिरिक्त जनसंख्या जैसी अनेक समस्याओं को उजागर किया गया है।

डा० सिंह ने ठीक ही लिखा है कि हाल में बेरोजगारों की बढ़ती फौज से कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा ही लड़ा जा सकता है। लघु इकाई में एक लाख रुपये के विनियोग से 20 से 25 बेकार लोगों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है जबकि बड़े उद्योग की एक इकाई में एक लाख रुपये के विनियोग से केवल चार बेकार हाथों को ही।

आर्थिक प्रगति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन उद्योगों का विकास करना वांछनीय प्रतीत होने लगा है। ग्रामीण महिलाओं को छोटे-मोटे उद्योग धंधों से जोड़कर ही इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर ही इन्हें शोषण से मुक्ति मिल सकती है। शीघ्र उत्पादकता के गुण के कारण इन उद्योगों में तेजी-मंदी का कोई विशेष असर नहीं होता। इन उद्योगों का जाल बिछाकर ही ग्रामीणों के शहरों की ओर पलायन पर अंकुश लगाया जा सकता है। ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन करना शहरी लोगों के लिए समस्या है तो ग्रामीणों के लिए मजबूरी। इस मजबूरी का समाधान इन्हीं उद्योगों में परिलक्षित होता है। 'ट्राइसेम' योजना स्वागत योग्य है। ग्रामीण विकास के लिए हरित क्रान्ति के साथ-साथ श्वेत और नील क्रान्ति लानी होगी। इस अंक का उद्देश्य भी यही है। अंत में डा० कृष्ण कुमार सिंह के साथ अन्य लेखकगण भी बधाई के पात्र हैं। सार रूप में संपादक को विशेष बधाई।

रंजू कुमारी
द्वारा श्री राम इकबाल सिंह,
376, जी रोड, सोनारी, वेस्ट ले आउट,
जमशेदपुर (टाटा), विहार-831011

'कुरुक्षेत्र' का ज्ञान से परिपूर्ण जून 1994 का अंक प्राप्त हुआ। इस अंक में "ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों की भूमिका" पर लेख ग्रामवासियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। इस लेख के लिए डा० कृष्ण कुमार सिंह जी बधाई के पात्र हैं। दूसरे चरण में 'प्रधानमंत्री की रोजगार योजना' के अन्तर्गत हम जैसे बेरोजगार युवाओं के लिए सचमुच ही एक आशा की किरण फूटी है। इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को अच्छा रोजगार मिल सकता है।

कहानी "अपने-पराये" पसन्द आयी। डा० शीतांशु भारद्वाज को मुबारकबाद। ओम प्रकाश गर्ग जी की "निर्मोही बादल" मानव जाति को एक सम्बल देती है कि वह पर्यावरण की देखरेख करे न कि उसे क्षति पहुंचाए।

कैलाश केशरी
पूर्ण साक्षरता अभियान (स्वयं सेवक),
धर्मस्थान रोड, दुमका,
पिन-814101 (विहार)

जून 1984 का कुरुक्षेत्र अंक पढ़ा। सभी लेख व कहानी कविताएं रोचक लगी। सबसे महत्वपूर्ण लेख "चरवाहा विद्यालय" लगा। इस लेख के तहत जान पाया कि इस योजना में शिक्षा के साथ-साथ लोगों को उनके पेशेवर काम काज करने की भी सुविधा दिलाई जाती है ताकि शिक्षित होने वाले दो जून के भोजन की चिन्ता से दूर रहें।

जब इन्सान भूखा होता है तब अगर उसको नैतिकता व आदर्श की बात कही जाएगी तो वह बेअसर रहेगी क्योंकि उसके तो दिमाग में यही बात होगी कि वह शाम को क्या खायेगा, कल कहां से व्यवस्था करेगा वगैरह, वगैरह। साथ ही इस योजना के तहत विद्यालय हेतु भूमि की जो व्यवस्था की गई है वह बहुत ही उचित व्यवस्था कही जा सकती है।

यह "चरवाहा विद्यालय" योजना निश्चित रूप से सफल रहेगी।

बहुत-बहुत धन्यवाद लेखक अजय कुमार सिन्हा को देना चाहूंगा जिन्होंने हमें महत्वपूर्ण जानकारी अपने लेख के माध्यम से दी।

मघाराम,
अध्यापक,
गांव/पोस्ट-हाथला,
वाया सेड़वा त०-चौहटन
जिला-बाड़मेर (राजस्थान)
पिन–344706

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नयी पहल

गरीबी उन्मूलन की सशक्त योजना

रामेश्वर ठाकुर
ग्रामीण विकास राज्यमंत्री, भारत सरकार

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, देश की आर्थिक योजनाओं तथा विकास-प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लिखा था: "जिस दिन मैं गांवों से गरीबी दूर करने में कामयाब हो जाऊंगा, मैं समझूंगा कि मैंने स्वराज प्राप्त कर लिया।" भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता आर्थिक स्वतंत्रता को उतना ही महत्वपूर्ण मानते थे जितनी राजनीतिक आजादी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की आर्थिक प्रगति और विकास के लिए जो नीतियां बनायीं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी दूर करने की आवश्यकता की कभी अनदेखी नहीं की।

श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को जबरदस्त बढ़ावा मिला। उन्होंने बहुत कम समय में कार्यक्रम लागू करने वाली एजेंसियों के ढांचे में आमूल परिवर्तन किया और देश को गरीबी तथा बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के प्रयासों को नयी दिशा दी। वे यह महसूस करते थे कि सही अर्थों में विकास तभी हो सकता है जब निर्णय करने की प्रक्रिया का समाज के जन सामान्य के स्तर तक विकेन्द्रीकरण और लोकतंत्रीकरण हो। "लोगों को सत्ता सौंपने" की उनकी इच्छा का पता पंचायती राज संस्थाओं को सवैधानिक दर्जा देने के प्रति उनकी वचनबद्धता से लग जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के कार्यक्रमों की कमजोरियों को वे जान गये थे और उन्होंने इसके स्थान पर अधिक व्यापक कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार कर ली थी जो जवाहर रोजगार योजना के रूप में सामने आयी। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और पेयजल टेक्नोलाजी मिशन गांवों के लोगों के कल्याण के प्रति उनकी वचनबद्धता तथा गहरी अंतरदृष्टि के परिणाम हैं। समाज के सबसे निचले स्तर के प्रशासकों के साथ हुई बातचीत में राजीव जी ने महसूस किया कि उन्हें धनराशि सीधे उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे कार्यक्रमों को कारगर ढंग से लागू कर सकें।

नयी दिशा

प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्ह राव के प्रेरक नेतृत्व में सरकार को विकास और प्रगति के लाभों को ग्रामीण जन-समुदाय तक पहुंचाने का जनादेश विरासत में मिला है। प्रधानमंत्री ने 'ग्राम स्वराज' के लक्ष्य को प्राप्त करने के हमारे प्रयासों को नया महत्व और नयी दिशा प्रदान की है। सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और युवा नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के आदर्शों को शीघ्रातिशीघ्र मूर्त रूप देना चाहती है।

हमारे प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे को त्वरित रूपांतरण के जिस युग में पहुंचा दिया है उसमें ग्रामीण पुनर्निर्माण और विकास की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रबल हो गयी है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या देश की कुल आबादी का तीन चौथाई है। इनमें से काफी बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। बेरोजगारी, गांवों से शहरों को पलायन और देहाती इलाकों में गरीबों की दयनीय दशा, ऐसी समस्याएं हैं जिन पर पूरी ताकत और पूरे संकल्प के साथ प्रहार करना जरूरी है तभी भारत विकास और प्रगति में दुनिया के देशों की बराबरी कर सकेगा।

ग्रामीण उत्थान के कार्य को प्राथमिकता

वर्तमान सरकार को इस बात का पूरा अहसास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को एक सुरक्षित आधार प्रदान करने के लिए अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और ढांचे में बदलाव के अनुरूप ग्रामीण विकास के खर्च को बढ़ाया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का पूरा फायदा तभी मिल सकेगा जब ग्रामीण क्षेत्र में भी उसके अनुरूप पूंजीनिवेश हो। इसीलिए प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर आठवीं योजना में ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय योजना खर्च बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दिया है। सातवीं योजना में हुए 10,955 करोड़ रुपये के खर्च के मुकाबले यह राशि तीन गुना अधिक है। इससे यह बात एकदम साफ हो जाती है कि सरकार ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है।

ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए जबरदस्त पहल

ग्रामीण विकास मंत्रालय को ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने और ग्रामीण लोगों, विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के जीवन स्तर में सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। ये हैं: रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले कई विशेष कार्यक्रम, संस्थागत ऋण तथा सबसिडी उपलब्ध

करा कर ग्रामीण लोगों के लिए उत्पादक परिसंपत्तियां जुटाना, भूमि सुधार, ग्रामीण आवास, पेयजल तथा स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम।

आठवीं योजना में ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय योजना खर्च में भारी बढ़ोत्तरी कर इसे 30,000 करोड़ रुपये करके हम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के जबरदस्त प्रयास करने के लिए कमर कस चुके हैं। गरीबी का सीधा संबंध ग्रामीण उत्पादकता के निम्न स्तर, बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी से है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज की भूमिका में प्रधानमंत्री ने विचार व्यक्त किया है कि अगर हमें इस शताब्दी के अंत तक सभी को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करना है तो देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना होगा। हालांकि विकास की सामान्य प्रक्रिया का उद्देश्य उत्पादक रोजगार के अवसर बढ़ाना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को रोजगार और आय के एक निश्चित न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाने और स्थायी आधार पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है।

जवाहर रोजगार योजना

जवाहर रोजगार योजना देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा विशेष रोजगार कार्यक्रम है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाले इसके दायरे में आते हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जवाहर रोजगार योजना का मूल उद्देश्य लाभप्रद रोजगार के और अधिक अवसर जुटाने के साथ-साथ स्थायी महत्व की सामाजिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। अब तक के अनुभव तथा इसके समग्र कार्य निष्पादन, विशेष रूप से सबसे अधिक पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कार्य में सुधार के लिए 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन किया गया। इस समय 20 प्रतिशत राशि का उपयोग विभिन्न राज्यों के 120 पिछड़े हुए ऐसे ब्लाकों में सघन जवाहर रोजगार योजना चलाने पर किया जा रहा है जहां बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी ज्यादा है। जवाहर रोजगार योजना के लिए निर्धारित राशि का चार प्रतिशत ऐसी नयी-नयी सामाजिक परियोजनाओं के लिए रखा गया है जिनसे लोगों के गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने में मदद मिले और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ें। इसके अलावा इस धनराशि का उपयोग स्वयंसेवी संगठनों के उन कार्यक्रमों पर भी किया जाएगा जिनका उद्देश्य सूखे से बचाव करना, जलग्रहण क्षेत्र/परतीभूमि विकास आदि के जरिए दीर्घकालीन रोजगार उपलब्ध कराना है।

पिछले तीन वर्षों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में इस जोरदार पहल से जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 9,185 करोड़ रुपये की लागत से 259 करोड़ दिहाड़ियों से अधिक के रोजगार के अवसर जुटाए गए। आठवीं योजना में जवाहर रोजगार योजना के लिए 18,400 करोड़ रुपये का केन्द्रीय खर्च निर्धारित किया गया है। चालू वित्त वर्ष (1994-95) में जवाहर रोजगार योजना (सघन जवाहर रोजगार योजना भी इसमें शामिल है) के लिए केन्द्रीय खर्च 3,855 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इससे 104.2 करोड़ दिहाड़ियों के बराबर रोजगार के अवसर जुटाने का लक्ष्य है।

सुनिश्चित रोजगार योजना

जनसंख्या और श्रम शक्ति की अपेक्षाकृत ऊंची वृद्धि दर की वजह से बेरोजगारी और आंशिक बेरोजगारी बढ़ी है। गरीबी दूर करने, असमानता कम करने और आर्थिक विकास की उच्च दर को एक उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उपलब्ध मानवीय संसाधनों का बेहतर तथा कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसलिए देश के पिछड़े इलाकों में जरूरतमंद लोगों को रोजगार संबंधी सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 1993 में स्वतंत्रता दिवस पर सुनिश्चित रोजगार योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के निर्धन लोगों को रोजगार के अवसर जुटाना है। 2 अक्तूबर 1993 को शुरू की गयी इस योजना में खेती-बाड़ी के काम से फुर्सत वाले दिनों में शारीरिक कार्य कर सकने में सक्षम वयस्कों के लिए साल में 100 दिन के रोजगार की पक्की व्यवस्था की जाती है। यह योजना 23 राज्यों और चार केन्द्र शासित प्रदेशों के 261 जिलों के 1,778 चुने हुए पिछड़े विकास खंडों में चलाई जा रही है। ये विकास खंड मुख्य रूप से सूखे की आशंका वाले, जनजातीय और पर्वतीय इलाकों में स्थित हैं और इन्हीं में नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी लागू की गई है। 1993-94 में इस योजना के लिए 548.77 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे जिसमें से 182.91 करोड़ रुपये खर्च किये गए और इससे 4.92 करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार जुटाया गया। 1994-95 में यह योजना बड़े पैमाने पर चलायी जाएगी जिसमें केन्द्रीय खर्च 1200 करोड़ रुपये का होगा।

दस लाख कुएं खोदने की योजना

गरीब किसानों की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई सुविधाओं की कमी की होती है। जवाहर रोजगार योजना के तहत चलाए जा रहे दस लाख कुएं खोदने के कार्यक्रम में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे छोटे और मझोले किसानों को कुओं के जरिए

सिंचाई की सुविधा मुफ्त दी जाती है। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए 1993-94 से इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले ऐसे छोटे और मझोले किसानों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है जो अनुसूचित जातियों या जनजातियों के नहीं हैं। 1992-93 तक जवाहर रोजगार योजना पर खर्च की जाने वाली राशि का 20 प्रतिशत ''दस लाख कुएं खोदने की योजना'' पर खर्च किया जाता था। 1993-94 से यह राशि बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गयी है। पिछले तीन वर्षों में 1631 करोड़ रुपये खर्च करके 5 लाख कुएं खोदे जा चुके हैं।

इंदिरा आवास योजना

आवास मनुष्य जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जीवन को एक न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने में इस आवश्यकता का पूरा होना बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम में सबसे निर्धन लोगों के लिए मकानों का निर्माण मुफ्त किया जाता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है। लगातार अनुरोध को देखते हुए 1993-94 से इंदिरा आवास योजना के लिए क्षेत्रीय आबंटन 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के क्षेत्र का भी विस्तार किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों के गैर-अनुसूचित जातियों/जनजातियों के निर्धन लोगों को भी इस शर्त के साथ शामिल किया गया है कि उन पर खर्च की जाने वाली राशि कुल खर्च के चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। मैदानी इलाकों में मकान के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि 12,700 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये और पहाड़ी तथा दुर्गम इलाकों में 14,500 रुपये से बढ़ाकर 15,800 कर दी गई है। पिछले तीन वर्षों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 7.53 लाख मकान बनाए गए। इन पर 958 करोड़ रुपये खर्च आया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस साल ग्रामीण निर्धनों के लिए 2.54 लाख मकान बनाने की योजना है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

उत्पादक परिसंपत्तियों की कमी से गरीब लोग अपनी आमदनी नहीं बढ़ा पाते। ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनों को आय बढ़ाने में काम आने वाला साज-सामान उपलब्ध कराने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया है। इसके अंतर्गत उन्हें ऐसा सामान खरीदने के लिए ऋण और सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है। कार्यक्रम के लिए निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों को देने की भी व्यवस्था की गयी है। महिलाओं को भी विशेष रियायत दी जाती है। उनके लिए 40 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। पिछले तीन वर्षों में 71.41 लाख परिवारों को 2,416 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी। इन परिवारों को 3,266 करोड़ रुपये के ऋण भी दिए गए।

प्रति परिवार निवेश में वृद्धि

कम पूंजी निवेश होने से आमदनी कम होती है और गरीबी हटाने पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए छोटे पैमाने पर पूंजी निवेश को रोकने के लिए सरकार ने प्रति परिवार निवेश बढ़ाकर कम से कम 12,000 रुपये करने का फैसला किया है। प्रत्येक वर्ग के लिए सबसिडी की सीमा में भी 1,000 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। अब सामान्य क्षेत्रों में यह 4,000 रुपये, रेगिस्तानी तथा सूखे की आशंका वाले इलाकों में 5,000 रुपये और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के परिवारों और विकलांगों के लिए 6,000 रुपये कर दी गई है। जिलों को धनराशि का आबंटन, जो 1993-94 तक राज्यों द्वारा निर्धारित फार्मूले से होता था, उसे सुव्यवस्थित कर दिया गया है। अब जिलावार आबंटन गरीबी के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस वर्ष पहली जनवरी से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लाभ उठानेवालों के लिए जीवन बीमा के मुआवजे की राशि बढ़ा दी गयी है। अब मनोनीत किये गये व्यक्ति को स्वाभाविक मौत होने पर 5,000 रुपये और दुर्घटना में मरने पर 10,000 रुपये मिलेंगे। सरकार के निर्देश पर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति बनायी है जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और इसमें सुधार के लिए उपाय सुझाएगी।

ट्राइसेम

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की गतिविधियों का विस्तार प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र में करने के उद्देश्य से ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम (ट्राइसेम) चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत युवाओं को हुनर सिखाने और काम धंधे चलान का प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 50 प्रतिशत युवा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के और 40 प्रतिशत महिलाएं होना जरूरी है। किसी विशिष्ट तकनीकी संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के लिए स्टाइपेंड 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। प्रशिक्षण संस्थाओं को दिए जाने वाले मानदेय की राशि भी प्रति

प्रशिक्षु 100 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गयी है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं से तालमेल कायम करें और प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को स्व-रोजगार अथवा नौकरी करने योग्य बनाने पर अधिक ध्यान दें।

ग्रामीण दस्तकारों के लिए साज-सामान

सन् 1991 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुपालन में ग्रामीण दस्तकारों को अच्छे किस्म के उपकरण और साज सामान के किट सप्लाई करने का कार्यक्रम जुलाई 1992 से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण दस्तकारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करना तथा आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से उनका उत्पादन और आय बढ़ाना है। बुनकरों, दर्जियों और बीड़ी मजदूरों को छोड़कर गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अन्य सभी ग्रामीण दस्तकारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। औजारों के किट की औसत कीमत 2,000 रुपये है। दस्तकारों को सिर्फ 10 प्रतिशत राशि देनी होती है, शेष 90 प्रतिशत केन्द्र से सब्सिडी के रूप में मिलती है। 1992-93 में 61 चुने हुए जिलों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इन जिलों के करीब एक लाख ग्रामीण दस्तकारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया और उन्हें आधुनिक औजारों के किट उपलब्ध कराए गए। 1993-94 में कार्यक्रम का विस्तार किया गया और 105 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इन जिलों के करीब 1.2 लाख ग्रामीण दस्तकारों को आधुनिक उपकरणों के किट दिए गए। चालू वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं और 1.38 ग्रामीण दस्तकारों को सहायता देने का लक्ष्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास

परिवार और समाज के विकास में महिलाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश के 355 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों के विकास का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत महिलाओं की दक्षता और कौशल को ध्यान में रखते हुए छोटे-छोटे समूह बना दिये जाते हैं। इन समूहों को आमदनी बढ़ाने वाली गतिविधियों में लगाया जाता है। प्रत्येक समूह को बुनियादी ढांचे के विकास, कच्चे माल की खरीद, बिक्री, बच्चों की देखभाल जैसी गतिविधियों के लिए 15,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। महिलाओं द्वारा लाभप्रद आर्थिक गतिविधियां शुरू किए जाने से पूर्व उन्हें दक्षता के विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह का प्रशिक्षण देते समय उनके पिछड़ेपन का ध्यान रखा जाता है। महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देने तथा ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूह की बचत के बराबर अधिकतम 15,000 रुपये तक की धनराशि दी जाती है। पिछले तीन वर्षों में 41 करोड़ रुपये खर्च करके 31,388 समूह बनाए गए हैं। इससे पहले 50 बाकी जिलों को आठवीं योजना के अंत तक इस कार्यक्रम में शामिल करने का लक्ष्य था मगर इस कार्यक्रम की भारी सफलता तथा इसे प्राप्त व्यापक समर्थन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बाकी जिलों को इसी साल के अंत तक कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का फैसला किया है। जिन समूहों ने अच्छा जम-जमाव कर लिया है और जिन्हें उत्पादन बढ़ाने तथा नयी वस्तुओं का उत्पादन शुरू करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है उनके चक्रीय कोश को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।

क्षेत्र विकास कार्यक्रम

सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, समन्वित परतीभूमि विकास योजना, क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इनका उद्देश्य भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए सूखे के असर को कम करना है। इसके अलावा ईंधन और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थायी व्यवस्था करना भी इसका उद्देश्य है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जो गतिविधियां संचालित की जाती हैं उनमें भूमि तथा उसके भीतर नमी का संरक्षण, वनीकरण, कृषि वानिकी, चरागाह विकास, वानिकी और भूमि पर आधारित अन्य गतिविधियां जैसे सूअर पालन, बतख पालन और मछली पालन आदि शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप भूमिगत जल के स्तर में बढ़ोतरी की अच्छी संभावना है। इसके अलावा सूखे की आशंका वाले इलाकों में, जलग्रहण क्षेत्रों में, निचले इलाकों में कुओं के फिर से पानी से भर जाने की संभावना है। इस तरह पीने के पानी की उपलब्धता में भी सुधार होगा। इन कार्यक्रमों से चारे, ईंधन, इमारती लकड़ी और रस्सी बटना, लाख बनाना, पत्तल बनाना जैसे ग्रामीण उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल सकेगा।

सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 13 राज्यों के 96 जिलों के 627 विकास खंडों में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आने वाला कुल इलाका 5.36 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रत्येक विकास खंड को दी जाने वाली राशि में 1993-94 में 50 प्रतिशत और 1994-95 में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। पिछले तीन वर्षों में सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को 178.91 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम शतप्रतिशत केन्द्रीय खर्च से चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत पांच राज्यों के 21 जिलों

के 131 विकास खंडों में 3.62 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। इस कार्यक्रम के लिए भी खर्च बढ़ाया गया है। 1993-94 में 50 प्रतिशत और 1994-95 में 13.13 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को पिछले तीन सालों में **173.25 करोड़** रुपये दिए गए हैं। सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और **मरुभूमि** विकास कार्यक्रम के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए **योजना** आयोग के भूतपूर्व सदस्य प्रोफेसर सी.एच. हनुमंता राव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है। इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन कार्यक्रमों को और सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति

सरकार आठवीं योजना के अंत तक सभी गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए आठवीं **योजना** में 10,050 करोड़ रुपये रखे गए हैं जबकि सातवीं योजना में इस क्षेत्र के लिए 4,375 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता की स्थिति का पता लगाने के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का स्वतंत्र तकनीकी और अनुसंधान संस्थाओं के जरिए अध्ययन किया जा रहा है। अंतिम आंकड़ों के आधार पर देश के सभी गांवों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने की नीति तैयार की जाएगी।

स्वच्छता : जीवन की आवश्यकता

पानी के लिए कहा जाता है कि "जल ही जीवन है"। लेकिन इसमें हमें यह भी जोड़ना पड़ेगा कि स्वच्छता से रहना जीवन का सही तरीका है। स्वच्छता कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों, विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अधिक से अधिक लोगों, को इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल करना है। हमारा लक्ष्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में 380 करोड़ रुपये खर्च करके गांवों के 1 करोड़ 68 लाख लोगों को ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों में शामिल करने का है।

काश्तकार को जमीन

राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति का उद्देश्य देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए भू स्वामित्व की प्रणाली में सुधार करना, काश्तकार को जमीन का मालिक बनाने के अधूरे कार्य को पूरा करना, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को जमीन दिलाकर कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना, भू स्वामित्व प्रणाली की कमियों के कारण काश्तकारों के शोषण को रोकना तथा स्थानीय संस्थाओं में समानता की भावना विकसित करना है। देश में बिचौलियों को हटाया जा चुका है। देश के अधिकतर राज्यों में काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक सौंपने के लिए कानूनी व्यवस्था कर दी गयी है। एक करोड़ 12 लाख काश्तकारों को 1.53 करोड़ एकड़ जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। अधिकतम सीमा से ज्यादा 73.51 लाख एकड़ जमीन में से 50.58 लाख एकड़ जमीन 48.88 लाख लोगों को बांटी जा चुकी है। इनमें से अधिकतर समाज के कमजोर वर्गों के हैं। इसके अलावा भूदान में मिली 23.3 लाख एकड़ जमीन और 127.43 लाख एकड़ परती भूमि भी भूमिहीनों में बांटी गयी है। अधिकतम भूमि सीमा से ज्यादा फालतू जमीन को भूमिहीनों में बांटने के लिए अक्तूबर 1991 में एक अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जनवरी 1994 तक 3.11 लाख एकड़ जमीन बांट दी गई।

स्वयंसेवी एजेंसियों की भागीदारी

सरकार को इस बात का पूरा अहसास है कि ग्रामीण विकास के कार्य को स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से काफी बढ़ावा दिया जा सकता है। स्वयंसेवी संगठन स्थानीय लोगों, विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को, विकास कार्यक्रमों से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण विकास के कार्यों में लगी स्वयंसेवी एजेंसियों को पैसा लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, कापार्ट के माध्यम से दिया जाता है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत संस्था है। जनवरी 1994 तक कापार्ट ने 11,733 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी थी। उसने करीब 4,285 स्वयंसेवी एजेंसियों को 233 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता इस अवधि में मंजूर की। इस वर्ष कापार्ट को ग्रामीण विकास में लगी एजेंसियों की मदद के लिए 72.50 करोड़ रुपये दिए गए हैं जबकि पिछले साल उसे 61 करोड़ रुपये मिले थे।

जनता की सत्ता में भागीदारी

स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों से ही हमारे नेताओं ने प्रशासन और विकास में जनता की भागीदारी की बात करनी शुरू कर दी थी। गांधी जी ने कहा था: "असली स्वराज कुछ लोगों के ताकत हासिल कर लेने से नहीं आएगा, बल्कि यह सब लोगों के शासन में भागीदारी की क्षमता हासिल करने से ही आ पायेगा।" स्वर्गीय राजीव गांधी यह महसूस करते थे कि जन संगठनों को मजबूत करने और लोगों को अधिकार सौंपने से ही लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी और देश सही अर्थों में लोकतंत्र तथा विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे इस बात पर जोर देते थे कि जब तक पंचायतों को गांवों के विकास की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती और देहात के लोगों को अपने

विकास की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाया जाता, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का फायदा लोगों को नहीं मिल पायेगा। राजीवजी के लिए पंचायती राज सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं था बल्कि यह लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और दलितों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बदलाव का एक जरिया था। वे चाहते थे कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं को इन संस्थाओं के कामकाज में उचित प्रतिनिधित्व तथा अधिकार मिलें। उन्होंने इस दिशा में पहल की और चौंसठवां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। लोकसभा ने इस विधेयक को 10 अगस्त 1989 को अपनी मंजूरी दे दी मगर राज्य सभा में सिर्फ पांच मतों की कमी रह जाने से यह पारित नहीं हो सका। 1991 में किए गए अपने वादे के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्ह राव ने 16 सितम्बर 1991 को देश की बागडोर अपने हाथों में संभालने के तीन महीने के भीतर यही संविधान संशोधन विधेयक फिर संसद में पेश किया। यह उनके विवेक, दलितों के उत्थान के प्रति उनकी वचनबद्धता और उनके महान नेता होने का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विस्तृत बातचीत और सलाह मशविरे के बाद 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। लोकसभा ने 22 दिसंबर 1992 को इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। राज्य सभा ने भी इसके अगले ही दिन इसे अपनी मंजूरी दे दी। उस समय 20 राज्यों की विधानसभाएं अस्तित्व में थीं। उनमें से 17 ने संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन कर दिया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया।

सपना साकार हुआ

सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसने जनता को अधिकार सौंपने के अपने वादे को पूरा किया है। 73वें संविधान संशोधन विधेयक में राज्यों को पंचायतों का गठन करने और उन्हें ऐसे अधिकार सौंपने को कहा गया है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। उन सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने जहां यह अधिनियम लागू होता है, इस संविधान संशोधन के अनुरूप नये कानून बना लिए हैं। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराने के बारे में केन्द्र राज्यों को लगातार निर्देश देता रहता है। नया पंचायती राज अधिनियम एक नयी पहल है। इसके जरिए देश में मजबूत तथा सक्षम पंचायती राज प्रणाली की आधारशिला रखी जा चुकी है। इससे देश में ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में लोगों को भागीदार बनाने की कारगर व्यवस्था कायम हो गयी है। राज्यों ने भी 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुरूप अपने कानूनों में संशोधन कर लिया है और इस तरह पंचायतों के चुनाव निश्चित कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद अनिवार्य रूप से कराने की व्यवस्था हो गयी है। नयी पंचायती राज व्यवस्था से यह बात भी साफ हो गई है कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। इसके लिए उसने पंचायती संस्थाओं में महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनिवार्य आरक्षण की व्यवस्था की है। राज्यों को इस बात की भी छूट दी गयी है कि वे चाहें तो पिछड़े वर्गों के लिए भी पंचायतों में आरक्षण कर सकते हैं। राज्यों के पंचायत राज मंत्रियों की एक एक राष्ट्रीय समिति बनायी गई है जो यह सुनिश्चित करेगी कि पंचायतों को सामान्य प्रशासनिक कार्यों, नियम कानून बनाने और विकास संबंधी गतिविधियां संचालित करने के लिए पर्याप्त अधिकार और संसाधन उपलब्ध हों। निश्चय ही यह समाज के सबसे निचले स्तर पर लोकतंत्र की महान शुरुआत है। इससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी का स्वप्न साकार हुआ है।

गांवों में खुशहाली

आज हम सामाजिक और आर्थिक बदलाव के जिस दौर से गुजर रहे हैं उसे विकास और प्रगति की राह पर मील का पत्थर कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्ह राव ने गंभीर ज्ञान, व्यापक अनुभव और आम आदमी की भलाई के प्रति अपनी वचनबद्धता से प्रेरित होकर हमें जो राह दिखायी है वह हमें देश के चहुंमुखी विकास की ओर ले जाएगी। मानव संसाधनों के विकास, दुर्बल वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने और लोगों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक क्षेत्र के अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रमों से लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। अत्यधिक गरीबों की स्थिति में भी अच्छा सुधार हुआ है। फिर भी गरीबी हमारे लिए एक बड़ी भारी समस्या बनी हुई है। इसलिए गरीबी दूर करने के हमारे संकल्प में कोई कमी नहीं आयी है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है: "गरीबों, समाज के कमजोर वर्गों और दलितों के उत्थान के लिए हमारी वचनबद्धता अटल है और उसमें कोई अंतर नहीं आ सकता"। श्री नरसिम्हं राव के दूरदर्शिता पूर्ण और सशक्त नेतृत्व में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास, गरीबी उन्मूलन और सन् दो हजार तक सबको रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने को कृतसंकल्प है।

अनुवाद : निरुपम

ग्राम-विकास में महिलाओं की भूमिका

✍ नवीन पंत

किसी देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं होती हैं। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता। भारत में अनादि काल से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिल कर काम किया है। भारतीय महिलाएं घर गृहस्थी का पूरा काम-काज निपटाने के साथ-साथ राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में—खेतों-खलिहानों, कल-कारखानों, दफ्तरों और अस्पतालों में—उपयोगी योगदान करती हैं।

हमारी कृषि अर्थ व्यवस्था में तो महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। देश के कुछ भागों में तो महिलाएं खेती के सम्पूर्ण काम काज का भार उठाती हैं। शेष भागों में वह कृषि कार्यों में पुरुषों की काफी सहायता करती हैं। कृषि, डेरी, हथकरघा और अनेक किस्म के कुटीर उद्योग के क्षेत्रों की समृद्धि का बहुत कुछ श्रेय महिलाओं को दिया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर चार घरों के पीछे एक घर की मुखिया महिला है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय जीवन में महिलाएं कितना महत्वपूर्ण योगदान करती हैं।

इधर सरकार ने राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में महिलाओं के योगदान को स्वीकार करते हुए उनकी भागीदारी को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों का आरक्षण है। इसी के साथ यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटें इन्हीं जातियों की महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी।

ग्राम पंचायतों के साथ महिलाओं को विकास खंड और जिला स्तर पर भी एक तिहाई सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। इन तीनों स्तरों पर अध्यक्ष पद भी महिलाओं के लिए उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात में आरक्षित रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक क्रांतिकारी कदम है और इसके कारण हमारे ग्रामीण समाज का स्वरूप ही बदल जाएगा।

एक तिहाई सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था से ग्रामीण महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में सत्ता की भागीदार बन गई हैं। अब इन संस्थाओं में कोई भी फैसला इन महिला सदस्यों की सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। यह एक युगान्तरकारी घटना है। इसके सुपरिणाम कुछ समय बाद प्रकट होने लगेंगे।

अब तक महिलाओं के कार्यों की प्रशंसा तो बहुत की जाती थी किंतु उन्हें राजनीतिक सत्ता—पद और अधिकार—देने के लिए कभी कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। कभी-कभी कुछ महिलाएं निर्वाचित संस्थाओं में अपने बलबूते पर पहुंच जाती थीं। कुछ राज्यों में पंचायती संस्थाओं में कुछ महिलाओं की नामजदगी भी की जाती थी। लेकिन उसका इन संस्थाओं की कार्यशैली पर कोई असर नहीं पड़ता था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इस समूची स्थिति को बदल दिया है। इस वर्ष अक्तूबर तक जब देश के सभी राज्यों में पंचायतों के चुनाव हो जाएंगे तो लगभग साढ़े सात लाख महिलाएं ग्राम पंचायतों की सदस्य बन जाएंगी।

पंचायती संस्थाओं की ये महिला सदस्याएं अपने पुरुष साथियों के साथ मिल कर गांवों की विकास योजनाएं बनाएंगी और विकास खंड तथा जिला योजनाओं के निर्माण के लिए उपयोगी और रचनात्मक सुझाव देंगी। सच तो यह है कि गांवों के विकास में जितना महत्वपूर्ण योगदान महिलाएं कर सकती हैं उतना पुरुष नहीं कर सकते।

महिलाएं प्रकृति से सहनशील होती हैं। वे सामान्यतः उतावली में कोई काम नहीं करतीं और कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका आगा-पीछा सोचती हैं। वे किसी विषय को सामान्यतः प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनातीं।

गांवों की कुछ समस्याओं जैसे कि पर्यावरण रक्षा, सफाई, पाठशालाओं की स्थापना, साक्षरता, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, गांवों में सड़कों और खड़ंजों के निर्माण आदि के बारे में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की राय अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं को इन विषयों पर पहली बार अपनी पसंद जाहिर करने और उसे लागू करने का अवसर मिलेगा।

अतः यह अपेक्षा करना सर्वथा उचित होगा कि ग्राम, विकास खंड और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से हमारे सार्वजनिक जीवन में सौमनस्य और सद्भावना

का वातावरण बनेगा और नैतिक मूल्यों की फिर से प्रतिष्ठापना होगी। इसी के साथ इससे देश में विकास के एक नए युग का श्रीगणेश होगा।

ग्रामीण पंचायतों के विरुद्ध मुख्य आलोचना यह की जाती है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने के स्थान पर गुटबंदी, कलह और संघर्ष को बढ़ावा दिया है। आशा है कि महिलाओं के मर्यादित व्यवहार से इस स्थिति में सुधार होगा।

ग्रामीण विकास की मुख्य समस्या गरीबी की समस्या है। गांवों में उत्पादन का मुख्य साधन जमीन है। कृषि योग्य जमीन सीमित है। उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। गांवों में रोजगार के साधन भी सीमित हैं।

हमारी जनसंख्या का तीन चौथाई हिस्सा गांवों में रहता है। इन लोगों का एक हिस्सा अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे रहता है अथवा दूसरे शब्दों में अशिक्षा, अभाव और कुपोषण में दिन बिताता है। पिछले तीन दशकों के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के जरिए गरीबी की इस समस्या पर निरंतर प्रहार करने का प्रयत्न किया गया है। सरकार ने गरीबी की इस समस्या पर काबू पाने के लिए भूमि सुधारों, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों, ग्रामीण आवास निर्माण, पेयजल की व्यवस्था और उत्पादक परिसम्पत्तियों के निर्माण पर जोर दिया है। देश के सबसे गरीब क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू की गई है।

इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें प्रमुख हैं: जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम और ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार-उपकरण देने का कार्यक्रम। इनमें से अधिकांश में ग्रामीण महिलाओं को विकास के अवसर देने की विशेष व्यवस्था की गई है।

जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और कम रोजगार प्राप्त पुरुषों और महिलाओं के लिए लाभप्रद रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य विकास कार्यक्रम भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं।

इन सभी कार्यक्रमों की विशेषता यह है कि इनमें महिलाओं को लाभ पहुंचाने की विशिष्ट व्यवस्था की गई है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार के कम से कम 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं को दिए जाने चाहिए। इंदिरा आवास योजना में मकानों का आबंटन करते समय अविवाहित महिलाओं और विधवाओं वाले गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पाने वाले लोगों में 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।

देश के 50 जिलों में 1982-83 से ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आत्म निर्भर बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों के गरीब परिवारों की 15-20 महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें विभिन्न शिल्पों का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम इस समय देश के 355 जिलों में चल रहा है। आठवीं योजना के अंतर्गत इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा।

सातवीं योजना में ग्रामीण विकास के लिए 10,650 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। आठवीं योजना में इसे बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राज्यों द्वारा निर्धारित 15,000 करोड़ रुपये इसके अलावा हैं। जवाहर रोजगार योजना के लिए खर्च की राशि ग्राम पंचायत के लिए अधिकृत प्रस्ताव द्वारा निकाली जा सकती है। अन्य योजनाओं के लिए भी लगभग इसी तरह की व्यवस्थाएं है।

अब ग्राम पंचायत की निर्वाचित महिलाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम विकास के लिए निर्धारित सार्वजनिक धन का उपयोग नियमों के अनुसार किया जाए और इन योजनाओं का पूरा लाभ महिलाओं को मिले। कुछ वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि विकास के लिए निर्धारित राशि का एक बहुत नगण्य हिस्सा यानी पांचवें हिस्से से भी कम विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। उसका बड़ा हिस्सा बिचौलियों की जेब में चला जाता है। पंचायत संस्थाओं के लिए निर्वाचित महिलाओं को अपना प्रमुख ध्यान इस विषय की ओर लगाना चाहिए। अगर वे यह सुनिश्चित कर सकें कि विकास कार्यों के लिए निर्धारित राशि का बड़ा हिस्सा विकास कार्यों पर लगाया जाए तो देश की बहुत बड़ी सेवा होगी।

22, मैत्री अपार्टमेंट्स,
ए/3, पश्चिम विहार,
नई दिल्ली

ग्रामीण विकास और महिलाएं

✍ रामजी प्रसाद सिंह

देवासुर संग्राम में महारानी केकयी की भागीदारी से लेकर सन् 1857 में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की कथा इस बात को प्रमाणित करती है कि भारत की महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ समान स्तर पर काम कर सकती हैं।

सदियों की गुलामी के कारण, भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य बदल गया। इसके कारण संभ्रांत परिवारों में स्त्रियों को घरों की चहारदीवारी के अंदर बांध दिया गया। फलतः उनमें अशिक्षा, अंधविश्वास और अकर्मण्यता फैल गई थी। वह अर्द्धांगिनी के बदले दासी बन गई थी।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं को यह स्थिति बहुत घातक जान पड़ी। इसलिए उन्होंने महिलाओं को समाज में पूर्ववत सम्मान का अधिकार देने का संकल्प लिया और उन्हें घर की अंधेरी कोठरी से निकलकर स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने, शिक्षण संस्थाओं में दाखिल होने, पर्दा प्रथा को तोड़ने और अंध विश्वास से मुक्त होने का आह्वान किया।

फलतः असंख्य नारियां स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ीं। इनमें सरोजिनी नायडू, श्रीमती नेलीसेन गुप्ता और इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनीं।

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष बनीं तथा सैकड़ों महिलाएं केन्द्रीय और राज्य विधान मंडलों की सदस्य बनीं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इनमें से अनेक केन्द्रीय मंत्री बनीं।

स्वराज के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं और 15 वर्षों तक शासनारूढ़ रहीं। श्रीमती गांधी के सत्तारूढ़ होने के बाद पड़ोसी राष्ट्रों की महिलाओं की आत्मचेतना का विकास हुआ। इसके फलस्वरूप इस्लामी देशों में महिलाओं के प्रति भयंकर भेदभाव के बावजूद बंगलादेश और पाकिस्तान में महिला शासनाध्यक्ष बनीं।

इस वृतांत से किसी को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि भारत की आम महिलाओं को समानता का अधिकार मिल गया था। समानता का अधिकार, वास्तव में केवल संविधान की धाराओं तक सीमित था। विधानमंडलों और संसद में महिलाओं को अभी दस प्रतिशत स्थान भी प्राप्त नहीं हैं। करीब 75 प्रतिशत महिलाएं आज भी निरक्षर हैं। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति और बदतर है, यद्यपि वे खेत, खलिहान और घर गृहस्थी में पुरुषों के समान ही या उनसे अधिक काम करती हैं।

इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके यशस्वी पुत्र भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने महिलाओं को सच्चे अर्थों में समान अधिकार दिलाने का संकल्प लिया। श्री राजीव गांधी ने गांव में रहने वाली महिलाओं को जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने तय किया कि महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में एक तिहाई स्थान आरक्षित किए जाएं। इसी तरह ग्राम पंचायतों के सरपंचों के पदों के लिए एक तिहाई स्थान सुरक्षित किए जाएं।

इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ग्राम पंचायतों को संविधान द्वारा संरक्षित एक संस्था बनाने का निश्चय किया और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश कराया। दुर्भाग्य से वह उनके जीवन काल में कानून का रूप नहीं ले सका। किंतु श्री नरसिम्ह राव की सरकार ने 1991 के आम चुनाव के बाद सत्तारूढ़ होते ही 73वां संविधान संशोधन विधेयक सितम्बर 1992 में लोकसभा में पेश किया। उस पर लगभग एक वर्ष तक राष्ट्रीय बहस हुई। उसके बाद संसद की संयुक्त समिति की सिफारिश पर संसद ने उसे पारित किया।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम

राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल, 1993 को उक्त विधेयक पर सहमति दी। 24 अप्रैल, 1993 को वह अधिनियम कानून बन गया। उक्त अधिनियम में पंचायत क्षेत्र के 18 वर्ष की उम्र के सभी निवासी मतदाता होंगे। पंचायत प्रणाली तीन स्तर वाली होगी - ग्रामीण स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। बीस लाख से कम आबादी वाले राज्य केवल दो स्तर की प्रणाली रख सकते हैं।

तीनों स्तरों की पंचायती संस्थाओं के लिए सीधे चुनाव होंगे। ग्राम पंचायतों के सरपंच मध्यवर्ती स्तर की पंचायती संस्थाओं के

सदस्य बन सकेंगे और मध्यवर्ती पंचायतों के प्रधान जिला स्तर की संस्थाओं के सदस्य बन सकेंगे। सभी पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे। उसी प्रकार तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगे। सभी स्तर की पंचायती संस्थाओं के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे। राज्यों के विधानमंडल इन संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए चुनाव करा लिए जाएंगे। पंचायत भंग किए जाने की स्थिति में नई पंचायत का चुनाव छह महीने के अंदर कराना अनिवार्य होगा।

राज्य विधान मंडल के चुनाव के लिए अयोग्य व्यक्ति, पंचायत का सदस्य नहीं बन सकेगा। पंचायतों के लिए मतदाता सूचियां बनाने और चुनाव प्रक्रिया की देख-रेख, दिशा-निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग गठित किया जाएगा।

पंचायती राज अधिनियम की 11वीं सूची में शामिल मामलों के अंतर्गत आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और विकास योजनाओं को अमल में लाने का दायित्व पचांयतों का होगा। विकास योजनाओं के लिए पंचायतों को राज्य से धन मिलेगा और उन्हें स्वयं भी कुछ कर वसूलने का अधिकार होगा। प्रत्येक राज्य में एक साल के भीतर और इसके पश्चात हर पांच साल बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो यह निर्धारित करेगा कि पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था हो।

संविधान संशोधन की विशेषता

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों ने अपने यहां की पंचायती व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाए हैं और ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने की व्यवस्था की है। फिलहाल प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतों के चुनावों की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में जारी है। अगले छह महीने के अंदर पूरे देश में पंचायती राज प्रणाली का स्वरूप बदल जाएगा। उनमें से अधिकांश का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में होगा।

यह समाचार ग्राम स्वराज और महिला मुक्ति आंदोलन में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए भी सुखद होगा। इससे न केवल महिलाओं में नई चेतना का विकास होगा बल्कि सच्चे अर्थों में गांवों का नवनिर्माण होगा और सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा जो इस दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति होगी। महिलाएं प्राचीन काल से कर्मठता की प्रतिमूर्ति रही हैं। उनकी ऊर्जा का सदियों से उपयोग नहीं हो रहा था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अमल में आने के बाद देश के छह लाख गांवों में करीब ढाई लाख महिला पंच निर्वाचित हो पायेंगी और उनमें से एक तिहाई अपनी पंचायत, प्रखंड पंचायत अथवा जिला पंचायत की अध्यक्ष होंगी। इसके कारण स्वाभाविक तौर पर नेतृत्व उनके हाथ में चला जाएगा।

प्राथमिकताएं

ग्राम निर्माण के काम में सर्व प्रमुख कार्य है निरक्षता निवारण, परिवार नियोजन, ग्राम शिल्प का विकास और सफाई तथा स्वच्छता में सुधार। इन कार्यों में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। आज तक अगर इन योजनाओं की प्रगति अवरुद्ध थी तो इसका प्रमुख कारण यह था कि उनमें महिलाओं का सहयोग लेने की चेष्टा नहीं की गई।

इसलिए ऐसा नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था में आज तक महिलाओं की कोई भूमिका नहीं थी। कई राज्यों में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान पहले से ही आरक्षित थे किंतु एक तिहाई स्थानों के आरक्षण से स्थिति बदल गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तिहाई पंचायतों के प्रधान, मुखिया या सरपंच भी महिलाएं ही होंगी। स्वभावतः ग्राम विकास की जितनी भी योजनाएं हैं चाहे वह जवाहर रोजगार योजना हो अथवा ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम या समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम सभी के कार्यान्वयन में महिलाओं की भागीदारी होगी

महिला और बाल विकास

महिला और बाल विकास की योजनाओं के सामाजिक औ आर्थिक महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। महिलाओं के विकास की योजनाएं अब स्वयं महिलाओं द्वारा क्रियान्वित होंगी स्वभावतः उनकी प्रगति में गुणात्मक परिवर्तन होगा। पोषाहार योजना के अंतर्गत जो पोषाहार गर्भवती महिलाओं और बच्चे में वितरण के लिए जाता था उसमें धांधली की शिकायतें थीं आशा है अब वे शिकायतें नहीं रहेगी। इसी प्रकार महिलाओं को

शेष पृष्ठ 16 प

ग्रामीण महिलाओं के लिए राज्य की विकास नीति

डॉ० अलका कुशवाहा

भारत जैसे ग्राम प्रधान देश में विकास की प्रक्रिया तथा गांवों की आर्थिक समृद्धि में महिलाओं के योगदान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों में ग्रामीण महिलाएं उपेक्षित हैं। उन्हें विकास की धारा में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि वे जनसंख्या और श्रमशक्ति का एक बड़ा भाग हैं। भारत की 40 करोड़ 63 लाख महिलाओं की अधिकांश संख्या गांवों में बसती है। विकास के लाभों से ग्रामीण महिलाओं का यह वर्ग वंचित है। इनके पास न तो सामाजिक प्रतिष्ठा है और न ही जीवन-यापन के लिए पर्याप्त संसाधन। विकास प्रक्रिया में ग्रामीण महिलाओं की समान भागीदारी को अभी कार्यान्वित किया जाना है। देखा जाए तो महिलाओं का सबसे बड़ा कामकाजी वर्ग गांवों में है। ग्रामीण महिलाएं दिनभर लगभग 17-18 घंटे लगातार कार्य करती हैं। ये समय वे घर के कार्य, खेतों में काम करने और घरेलू उत्पादन के काम में लगाती हैं। यदि कार्यरत होने का अर्थ सिर्फ नौकरीपेशा ही न माना जाए तो 90 प्रतिशत महिलाएं पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। भारत में कार्यरत महिलाओं की जनसंख्या का मात्र छह प्रतिशत भाग ही नियमित रोजगार में लगा है जबकि 94 प्रतिशत महिलाएं स्वरोजगार में लगी हैं। ये महिलाएं अधिकांशतया ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब और अशिक्षित महिलाएं हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का निर्धारण उस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक विषमताओं तथा सांस्कृतिक स्थितियों द्वारा होता है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष कामकाज के लिए गांव छोड़कर बाहर जाते हैं वहां पर महिलाएं खेतिहर तथा रोजी-रोटी कमाने के साथ-साथ परिवार की मुखिया भी होती हैं।

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक पृष्ठभूमि

देश के आर्थिक विकास में ग्रामीण महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में अधिसंख्य ग्रामीण महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। अनुमानतः 81 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं कृषि क्षेत्रों में खेतिहर या मजदूरी के रूप में अपनी रोजी-रोटी चलाती हैं। गांवों में महिलाओं को खेत खलिहानों में फसलों की बोवाई, रोपाई, निराई और सिंचाई करते, उसको काटते, जमा करते और औसाते हुए देखा जा सकता है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया है। उन्हें श्रमिक वर्ग का हिस्सा नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुविधानुसार कृषि उपकरणों का निर्माण भी नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कुल का 50 प्रतिशत उत्पादन करती हैं। कृषि कार्यों के अतिरिक्त वे घर के सभी कार्यों, बच्चों की देखभाल, घास और ईंधन लाने, पानी भरने तथा दस्तकारी के विभिन्न कार्य करती हैं। महिलाओं के ये सभी कार्य अनौपचारिक होते हैं। उनके इन कार्यों को समाज द्वारा आर्थिक कार्य नहीं समझा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के एक प्रकाशन में यह कहा गया है कि विकासशील देशों के सम्पूर्ण सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 25 से 39 प्रतिशत अवेतनीय घरेलू कार्य सम्मिलित हैं। भारत में ग्रामीण महिलाएं औसत रूप से 9 घंटे प्रतिदिन घर में, दो घंटे डेरी या पशुपालन जैसे कार्यों में और तीन घंटे खेत या कृषि क्षेत्रों में देती है।

गांवों की महिलाएं मजदूरी के बारे में भेदभाव का शिकार हैं। गांवों में अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में हैं। असंगठित क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र हैं– खदान, बीड़ी उद्योग, कृषि और सिंचाई, सड़क निर्माण, हथकरघा और कुटीर उद्योग, पत्थर तोड़ना और मसालों की सफाई, कुटाई तथा पिसाई इत्यादि। महिला श्रमिक शोषण का शिकार हैं। इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जाती है, जबकि वे अपने साथ संलग्न पुरुष श्रमिकों के बराबर ही कार्य करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को निर्देशित करता है कि न केवल सभी नागरिकों को जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है बल्कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। महिला तथा पुरुष को समान काम का समान वेतन प्रदान करने के लिए 1976 में समान मजदूरी अधिनियम बनाया गया।

सरकार की विकास नीति

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को जनकल्याणकारी राज्य घोषित किया गया। सरकार ने साधनहीन समुदायों को विशेष समर्थन देने की नीति अपनाई। विकास योजनाओं में महिला कल्याण को प्रमुखता दी गई। योजना आयोग ने महिलाओं के

विकास के तीन क्षेत्र निर्धारित किए हैं– शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण। राष्ट्रीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं की प्रगति की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। महिलाओं से संबंधित विकास नीति का विश्लेषण दो आधारों पर किया जा सकता है-

- वैधानिक नीति
- व्यावहारिक नीति

वैधानिक नीति के अन्तर्गत सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। अनुच्छेद 14 वर्णित करता है– "भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्यों द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।" स्वतंत्रता के पश्चात महिला उत्थान के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, जिनकी सहायता से महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। ग्रामीण महिलाएं इन कानूनों से अनभिज्ञ हैं।

व्यावहारिक नीति के अन्तर्गत आजकल सरकार महिला कल्याण और विकास से संबंधित अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है। स्वातन्त्रोत्तर ग्रामीण विकास के लिए अपनाई गई नीतियों तथा कार्यक्रमों में ग्रामीण महिलाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अस्सी के दशक में सरकार ने यह अनुभव किया कि अधिकांश ग्रामीण महिलाएं गरीबी में जीवन बिताती हैं और सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से संसाधनों की प्राप्ति उनके लिए कठिन है। गरीब महिलाओं को परिवार की आय में हिस्सा बटाना पड़ता है। लेकिन उनमें पर्याप्त कौशल तथा साक्षरता न होने के कारण उन्हें निम्न स्तर का रोजगार और मजदूरी मिलती है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उन्हें विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेष दर्जा दिया गया है। महिला विकास योजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं– आमदनी में वृद्धि करना, गरीबी कम करना, सामाजिक और राजनीतिक असमानता को कम करना तथा जीवन स्तर में सुधार लाना। ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा)

वर्ष 1982-83 से ग्रामीण क्षेत्रों में डवाकरा योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य रोजगार, दक्षता, प्रशिक्षण, ऋण तथा अन्य सहायक सेवाओं में महिलाओं की पहुंच में वृद्धि करके उनके स्तर में सुधार करना है। डवाकरा योजना के अन्तर्गत गरीब महिलाओं को सामूहिक रूप से संगठित करने पर बल दिया गया है। प्रत्येक समूह को कच्चा माल खरीदने, विपणन तथा शिशु देखभाल आदि के लिए 1500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है। सामूहिक रूप से महिलाओं को सहायता देने की नीति का एक लाभ यह भी है कि इससे अपेक्षाकृत ज्यादा महिलाओं को कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार किए गए सामान की बिक्री में सहायता प्राप्त होती है और इस प्रकार की अन्य सहायक सेवाएं व सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। प्रत्येक समूह में 10-15 महिलाएं होती हैं। कोई भी आर्थिक कार्य शुरू करने से पहले महिलाओं को कार्यकुशलता का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम में उन परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है जिनका शैक्षणिक स्तर निम्न है या जहां शिशु मृत्यु दर अधिक है।

2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निर्धनता से ऊपर उठाने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य गरीबी निवारण है। इस कार्यक्रम के लक्ष्य ग्रुप में सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक तथा ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा रेखा से नीचे है। कार्यक्रम में महिलाओं की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला लाभार्थियों को सहायता देने का लक्ष्य 40 प्रतिशत रखा गया है।

3. ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम)

इस कार्यक्रम का लक्ष्य 18–35 आयु वर्ग के उन ग्रामीण युवाओं को तकनीकी तथा उद्यमशीलता का प्रशिक्षण प्रदान करना है, जो गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के हैं। इससे वे अपना निजी काम-धन्धा शुरू कर सकते हैं या किसी अन्य आर्थिक क्षेत्र में रोजगार भी पा सकते हैं। प्रशिक्षित किए जाने वाले ग्रामीण युवाओं में महिलाओं की संख्या 40 प्रतिशत रखी गयी है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

4. जवाहर रोजगार योजना

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगार वाले पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन करना है। इस कार्यक्रम के साथ-साथ ऐसी परिसम्पतियों को बनाना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पूरे

जीवन स्तर में सुधार ला सकें और उनसे निर्धन लोगों को लाभ हो सके। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग लक्षित समूह हैं। योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

5. महिला समृद्धि योजना

ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से महिला समृद्धि योजना को 29 सितम्बर 1993 से शुरू किया गया है। महिलाओं में बचत की आदत अधिक होती है। ग्रामीण महिलाएं अपने द्वारा अर्जित आय में से कुछ बचाना चाहती हैं लेकिन उन्हें इसके निवेश के बारे में जानकारी नहीं होती। इस योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कोई भी ग्रामीण महिला अपने गांव से सम्बद्ध डाकघर में न्यूनतम चार रुपये से अपना खाता खोल सकती है। इसमें साल भर में अधिकतम 300 रुपये की राशि जमा की जा सकती है। राशि को खाते में एक वर्ष तक जमा रखना होगा जिसमें सरकार 25 प्रतिशत का अंशदान देगी जो अधिकतम 75 रुपये होगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करना है। इससे वे स्वयं अपने खाते को संचालित करने में सक्षम होंगी तथा घर के संसाधनों पर भी अपना नियंत्रण रख सकेंगी। 31 मार्च 1994 तक कुल 7 लाख 29 हजार खाते खोले गए और इन खातों में 9 करोड़ रुपए जमा हुए हैं।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में ग्रामीण महिलाओं के लिए उस क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक विशिष्टताओं के अनुरूप राज्य स्तर पर भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

कार्यक्रमों की सार्थकता

ग्रामीण महिलाओं की विकास कार्यक्रमों में उचित भागीदारी नहीं हो पायी है। डवाकरा के लिए 1992-93 में निर्धारित 40 प्रतिशत लक्ष्य की अपेक्षा केवल 32 प्रतिशत उपलब्धि ही प्राप्त की जा सकी। अध्ययन से यह तथ्य सामने आए हैं कि जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी द्वारा डवाकरा को कम प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादित माल की बिक्री के लिए उचित बाजार व्यवस्था नहीं है। सामाजिक प्रतिबन्धों, कम उम्र में शादी और लड़कियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण ट्राइसेम कार्यक्रम में ग्रामीण लड़कियों की भागीदारी बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रूढ़ियों, प्रथाओं और सामाजिक रीति रिवाजों से उत्पन्न कुरीतियों को झेलना अपना भाग्य मानती हैं जिससे वे अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जागरूक नहीं हो पा रही हैं। इसी कारण वह कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं कर पाती हैं। ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर होने के कारण वे बहुत पिछड़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए गए किसी भी कार्यक्रम तथा योजना में उनसे सलाह नहीं ली जाती है जबकि वे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की रीढ़ हैं। यदि ग्रामीण महिलाओं को थोड़ा सा प्रोत्साहन और सही दिशा बतायी जाए तो वे अपने उत्थान का मार्ग स्वयं चुन लेती हैं। इस तथ्य का उदाहरण राजस्थान के चार जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसंसद और डूंगरपुर में दिखाई देता है। स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के सहयोग से इन जिलों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता परियोजना के जरिए महिलाएं कुशल हैण्डपम्प मिस्त्री बन गई हैं। कुछ प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं ने अपने गांवों में हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य आरम्भ किया है और पंचायत समिति के नियमित हैण्डपम्प मिस्त्री की सूची में उनका नाम सम्मिलित हैं। स्वच्छता परियोजना में इस कार्य के लिए उन ग्रामीण महिलाओं का चयन किया जो कि स्वेच्छापूर्वक आगे आईं और प्रशिक्षण के पश्चात वे अपने क्षेत्र में ही कार्य करने लगी हैं। वे इस कार्य से अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। उनके क्षेत्र में कोई भी हैण्डपम्प 24 घण्टे से अधिक खराब नहीं रहता है। इस परियोजना ने रूढ़िवादी समाज के परदे की आड़ में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं में एक नये आत्मविश्वास को जन्म दिया है। गांवों में जो युवक और पुरुष पहले इन महिलाओं की हंसी उड़ाते थे वे भी अब इनके कार्यों की प्रशंसा करने लगे हैं।

पंचायती राज और महिलाएं

महिलाओं को अगर घर-परिवार के दायरे से निकालकर गांवों की समस्या को सुलझाने में उचित भागीदारी दी जाए तो वे इन समस्याओं को हल करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं को ग्रामीण समाज को प्रभावित करने वाली संस्थाओं में अधिक संख्या में शामिल किया जाए। इन संस्थाओं में प्रमुख संस्था पंचायती राज है। अब पंचायती राज कानून को 73वें संविधान संशोधन के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है। पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण है जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं भी शामिल हैं। ग्रामीण महिलाएं पंचायतों के माध्यम से अब सार्वजनिक स्तर पर

अधिकाधिक सहभागी हो जाएंगी और प्रशासन तथा विकास प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकेंगी। घर के बजट को अच्छी तरह चलाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए पंचायतों के वित्तीय तथा अन्य मामलों जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, ईंधन आदि के बारे में महिलाएं अच्छी प्रकार निर्णय ले सकती हैं। पंचायत में शामिल महिलाएं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से सम्बन्धित योजनाओं को उचित प्रकार से लागू कर सकेंगी।

निष्कर्ष

ग्रामीण महिलाओं की दयनीय सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणाम सन्तोषजनक नहीं हैं। अभी भी सुदूरवर्ती पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम पूरी तरह लागू नहीं हो पाए हैं। महिलाओं में शिक्षा की कमी, पर्दा प्रथा, अपर्याप्त जागरूकता इत्यादि ऐसे कारण हैं जोकि उनके विकास में बाधक बने हुए हैं। राज्य की विकास नीति बहुत उपयुक्त है। लेकिन सरकारी तंत्र में अनेक मानवीय दुर्बलताएं होने के कारण कार्यक्रमों को वांछित सफलता नहीं मिलती है। साधन संचित लक्ष्य समूह के लोग इन योजनाओं से अधिक लाभ नहीं उठा पाते हैं। राज्य द्वारा जिला स्तर पर महिला विकास समिति का गठन करना चाहिए जिसमें जिले के विकास खण्डों पर चलाए जा रहे महिला विकास कार्यक्रमों की समीक्षा हो सके। गांवों की क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुरूप महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार की आशा की किरण नए पंचायती राज कानून में दिखाई देती है जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनके लिए लाए जा रहे कार्यक्रमों का लाभ उन्हें दिलवा सकेगा। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं अपने विकास के लिए पहल करनी होगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण समाज महिलाओं के प्रति अधिक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाए तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में उनकी भूमिका को पर्याप्त महत्व प्रदान करे।

बी-36/21 ए-3,
ब्रह्मानंद कालोनी,
दुर्गाकुंड, वाराणसी-221005

पृष्ठ 12 का शेष

न्यूनतम मजदूरी देने में जो आनाकानी की जाती थी वह भी अब दूर होगी। महिलाएं जब नेतृत्व अपने हाथ में संभालेगी तो दहेज प्रथा, बेमेल विवाह की प्रथा, बाल विवाह तथा अंधविश्वास के निवारण में भी योगदान करेंगी।

सबसे जरूरी बात यह होगी कि ग्राम पंचायतों के स्तर पर महिलाओं में जन-जागृति आने और उनकी नेतृत्व क्षमता विकसित होने से वे धीरे-धीरे जिला स्तर से उठकर विधान मंडलों में अपना समुचित स्थान ग्रहण करेंगी और कालक्रम में संसद में भी समुचिन प्रतिनिधित्व प्राप्त करेंगी। फिलहाल केन्द्र या राज्य विधान मंडलों में 10 प्रतिशत स्थान भी महिलाओं को प्राप्त नहीं है।

सांस्कृतिक विकास

महिलाओं में जन-जागृति आने से देश का सांस्कृतिक विकास भी सुनिश्चित होगा। संस्कृति के विकास से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बल मिलता है। इस तथ्य में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम देश के समग्र विकास की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही वह देश की पिछड़ी हुई आधी आबादी को ऊपर उठाने में भी सहायक होगा।

नारियों के विकास से हमारी प्राचीन संस्कृति की यह धारणा बलवती होगी जिसमें कहा गया है:
नार्यस्तु यत्र पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता।

बी/2/बी-285,
जनकपुरी,
नई दिल्ली-58

ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी

✍ मोहनदास नैमिशराय

भारतीय समाज की संरचना में महिलाओं की भागीदारी बहुत पहले से ही सार्थक रूप में ऊर्जा बनती रही है। जीवन का शायद कोई क्षेत्र अछूता रहा हो जिसके पक्ष को मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय नारी ने महत्वपूर्ण भूमिका न निभाई हो। अधिकांशतया देखा गया कि अनगिनत क्षेत्रों में किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने या उसे पूरा करने के लिए उसे हिस्सेदार तो बनाया गया लेकिन उसके महत्व को नजरअंदाज किया गया। समाज में यह प्रवृत्ति काफी समय तक रही। महिलाओं के स्वतंत्र आर्थिक पक्ष को लेकर कम ही विश्लेषण हुए पर जैसे-जैसे समाज में परिवर्तन होने आरंभ हुए, गांव और शहर के बीच संवाद की स्थिति बनी वैसे-वैसे उनकी स्थिति में भी बदलाव होने के संकेत मिलने लगे। गांव बहुत दूर नहीं रहे, वे नजदीक आते गए। इस तरह से गांवों में रहने वाली महिलाओं के सुख-दुख की अनुभूतियां भी प्रकाश में आईं।

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में सामुदायिक विकास के व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए गए। 1954-55 में यह भी महसूस किया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम महिलाओं की सहभागिता के अभाव में उतना कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए पहली बार उक्त कार्यक्रम में महिलाओं को भी शामिल किया गया और प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में ग्राम सेविकाएं नियुक्त की गईं। इन कार्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए महिला मंडल गठित किए गए। महिला विकास के कार्यक्रमों में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के साथ-साथ खाली समय में उपयोगी घरेलू वस्तुएं बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य महिलाओं को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करना था जिससे परिवार की कुछ आय बढ़े।

आजादी के बाद देश में महिलाओं के लिए जितने भी कार्यक्रम शुरू हुए उन सब में महिलाओं में जागरूकता लाने हेतु शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत में अमीरी और गरीबी के बीच अंतर से बहुत चिंतित थे। उनका विचार था कि पूंजी के कुछ हाथों में सिमटने से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उससे सार्वजनिक जीवन भी प्रभावित होता है। आर्थिक पक्ष तो प्रभावित होता ही है। गरीबी दूर करने के लिए नेहरू जी शिक्षा को सबसे अधिक कारगर उपाय मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा में भले ही तकनीकी प्रशिक्षण भी शामिल हो लेकिन सार रूप में शिक्षा "जन शिक्षा" के रूप में होनी चाहिए।

देशभर में साक्षरता मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ा गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आर्थिक जगत में नए रास्ते खुले। पुरुषों के साथ और उससे अलग कुछ विशेष व्यवसायों में महिलाओं ने प्रवेश किया। इससे घर-परिवार की आर्थिक स्थिति में तो सुधार हुआ ही, साथ ही उनका ज्ञान-विज्ञान से भी संबंध जुड़ा। उसके भीतर की ग्रंथियों में बदलाव आया। नए विचारों को विकसित होने में मदद मिली। ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी के लिए समाज में व्याप्त कुछ परंपराओं को नकारने की हिम्मत और साहस भी महिलाओं के भीतर जुटाना था। इसलिए ज्ञान से विज्ञान को जोड़ने की पहल भी हुई।

सन् 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला दशक की घोषणा की एक उपलब्धि यह भी रही कि कल्याण के स्थान पर विकास की बात होने लगी। महिलाओं के हितों के क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण जैसे सामाजिक सेवाओं से आगे बढ़कर आर्थिक विकास के क्षेत्रों तक पहुंच गए। परिणामस्वरूप महिलाओं की भागीदारी कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संबंधी अधिकार, वन तथा अन्य स्वतंत्र आर्थिक गतिविधियों से जोड़ी जाने लगी। इस तरह ग्रामीण विकास में उसकी भागीदारी बढ़ने लगी। घर गृहस्थी से अलग क्षेत्रों में भी उसकी क्षमता को महसूस किया गया। उसके संसार की सीमाएं बढ़ाई गईं। बाद में चलकर संभावनाओं की भी तलाश की गई। इसमें सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं और संगठनों के प्रयासों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।

जनवरी 1984 में बिहार के जनजातीय अंचल छोटा नागपुर के विशुनपुर गांव में विकास भारती विशुनपुर ने "ग्रामीण संदर्भ में विज्ञान और विकास" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। सहयोग दिया था आई.आई.टी दिल्ली और कानपुर, बी.आई.टी मेसरा रांची मानव विज्ञान विभाग, रांची विश्वविद्यालय, ग्रामोपयोगी विज्ञान केन्द्र, वर्धा तथा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने।

आसपास के क्षेत्र की महिलाएं भी आई थीं जिनके साथ बैठकर समस्याओं पर विस्तृत विचार किया गया। महिलाओं की दैनिक दिनचर्या पर चर्चा करने पर यह तथ्य सामने आया कि महिलाओं का प्रतिदिन अधिकांश समय लकड़ी लाने, पानी लाने और प्रातः धान कूटने में चला जाता है। लकड़ी की समस्या के लिए उन्नत चूल्हों को बढ़ावा देने का सुझाव आया। प्रातःकाल लगभग दो घंटे का समय प्रतिदिन महिलाएं धान कूटने और उबालने के लिए लगाती हैं। मशीनों के द्वारा धान कूटना लगभग नहीं के बराबर होता है। वैसे भी घर पर ढेकी का कुटा हुआ चावल ही पसंद किया जाता है। प्रतिनिधियों का विचार था कि अगर ग्राम स्तर पर धान के लिए बायलर और शुष्क तथा सामूहिक कूटने का यंत्र लगाने का प्रयास किया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। ढेकी में बाल बियरिंग के उपयोग का भी सुझाव दिया गया।

आदिवासी क्षेत्र में महिलाएं खेत में कृषि का पर्याप्त कार्य करती हैं। लेकिन झुक कर रोपना, निकोनी करना, बोना आदि कार्य उनके शरीर के लिए काफी कष्टदायक होते हैं। इन कार्यों के लिए नए प्रकार के कृषि यंत्रों का क्षेत्र में प्रदर्शन करने की बात भी सुझाव के तौर पर आई।

जंगल में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों का संग्रह महिलाएं ही करती हैं। ऐसे मूल्यवान बीज, फल, फूल, पत्ते, छाल आदि सस्ते दर पर ही क्षेत्र के बाहर चले जाते हैं। अगर क्षेत्र में उनसे उपयोगी वस्तुओं को तैयार किया जाए तो महिलाओं की आय बढ़ सकती है।

महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के अन्य सुझाव भी कार्यशाला में विभिन्न प्रतिनिधियों की ओर से आए। यह कार्यशाला ग्रामीण महिलाओं को नए पुराने रोजगार से जोड़ने में निश्चित ही महत्वपूर्ण श्रृंखला थी।

ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश उसी स्थिति में की जा सकती है जब महिलाओं को भी स्वतंत्र रूप से अपने रोजगार या व्यवसाय चुनने का अधिकार हो। शहरों में यह स्वतंत्रता कुछ प्रतिशत पढ़ी लिखी महिलाओं को जरूर है लेकिन गांवों में नहीं। वहां अभी भी परंपरागत रूप से अपने-अपने व्यवसाय करने की विवशता है। यहां परंपरा के दो रूप हैं। प्रथम परंपरागत रोजगार, दूसरे घर के मुखिया की इच्छा तथा रुचि के आधार पर महिलाओं के हिस्से में आए व्यवसाय।

वैसे गांवों में अधिकांश महिलाएं कोई न कोई कार्य करती ही हैं। चाहे वह किसी भी खेत में कार्य करती हों या ईंट भट्टे पर। फिर चाहे अपने घर ही में पति, जेठ, ससुर या देवर की निगरानी में ही कोई काम क्यों न करती हों, अपने काम के घंटे वह स्वयं निश्चित नहीं करतीं।

इस क्षेत्र में दूसरी बाधा यह भी है कि स्वयं महिला श्रमिकों को "श्रम कानून" की भी जानकारी नहीं है। अलग-अलग व्यवसायों में मिलने वाली सुविधाओं तथा रियायतों की तो बात ही छोड़ दीजिए। पुरुषों को दी जाने वाली मजूरी तथा महिलाओं की मजूरी में काफी अंतर है। यह विषमता शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। जहां आसानी से न कानून पहुंच पाता है और न ही श्रम और श्रमिक से सम्बन्धित समय समय पर सरकार द्वारा बनाए गए नियम, कायदे। उदाहरण के लिए शहरों के नजदीक के भट्टों में यूनियन आदि के दखल से बढ़ी हुई मजूरी मिल भी जाती है। गांवों के भट्टों में महिलाओं को वैसी मजदूरी कम ही मिल पाती है।

ग्रामीण महिलाओं में दिहाड़ी की मजदूरी पर कार्यरत महिलाओं को और भी कम वेतन दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कार्य करना उनकी मजबूरी है। इसलिए कि वे गरीब हैं, उनके पति काम की तलाश में शहर चले जाते हैं। तब उन्हें कम पैसा लेकर अधिक घंटों के लिए खटना पड़ता है। उनके पास उनकी सुनवाई के लिए कोई नहीं होता। मालिक तबका उनसे मनमर्जी का व्यवहार करता है। कभी कभी इन गरीब महिलाओं को बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करना पड़ता है। खेतों में उससे अमानवीय तरीके से काम लिया जाता है। दूर-दूर तक भट्टा मालिकों के लोगों की आंखें उन पर टिकी रहती हैं। चाय बागानों में तो स्थिति और भी खराब है।

बात चूंकि ग्रामीण विकास की है। केवल महिलाओं को रोजगार मुहैया करने या कराने से नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी या गांवों का विकास होगा। दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक दूसरे की पूरक भी। इसका गंभीरता से विश्लेषण करना जरूरी है। उदाहरण के लिए ग्रामीण महिलाओं को शहरों में रोजगार मिल गया। जैसा होता भी है। गांव की अधिकतर महिलाएं केवल आंगनवाड़ियों या सेंटर में काम करने वाली अंशकालीन कर्मचारियों को छोड़कर आज रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भाग रही हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की है जो गरीबी की मार से या उत्पीड़न के कारण गांवों से पलायन करने पर मजबूर होती हैं। कुछ महिलाएं बेहतर रोजगार की तलाश

में शहर आ जाती हैं। कुछ अन्य कारणों से भी शहर आती हैं।

इस तरह से एक बड़ी संख्या में गांवों से महिलाएं शहर आती हैं। उनमें से कुछ को बेहतर रोजगार भी मिल जाता है। तब वैसी स्थिति में क्या ग्रामीण विकास होगा? जाहिर है नहीं...। क्योंकि गांव के विकास में किसी न किसी तरह सहायक बनने वाली महिलाएं ही जब गांव में नहीं रहेंगी तो गांव अपने आप में अधूरा रहेगा। उसके बाहर परिवर्तन होगा पर गांव स्वयं परिवर्तन से अछूते रहेंगे।

इसलिए गांवों में महिलाओं के लिए कुछ वैसा परिवेश तैयार किया जाए जिससे उन्हें कुछ विशेष कारणों को छोड़कर गांव से न जाना पड़े। हालांकि सरकार की तरफ से ढेर सारी योजनाएं तथा कार्यक्रम भी पिछले दो-तीन दशक में बने हैं जिनमें से अधिकांश पर अमल हुआ है। पर ज्यादातर महिलाएं योजना तथा कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं कर सकीं। महिलाओं के विकास से संबंधित समस्याओं की जड़ें हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे में कहीं गहरी समाई हुई हैं, उन्हें देखना होगा।

इतना तो आज स्पष्ट हुआ ही है कि ग्रामीण महिलाएं घर की चारदीवारी में कैद होकर नहीं रहना चाहती। उनके भीतर चेतना का सूरज उगा है। वे कुछ करना चाहती हैं। तब गांव स्तर पर ही उनके लिए नए-नए रोजगारों की तलाश और रचना की जा सकती है जिससे गांवों का विकास भी हो और उन्हें रोजगार भी मिले।

गांव में अभी भी ऐसी महिलाओं की संख्या बड़ी मात्रा में है जों ईंट-भट्टे, कोयला-खदान, चाय-बागान खेतों में रोपाई और कटाई के मौके पर खेती का काम करती हैं या फिर अपने-अपने घरों पर परंपरागत कार्य में लगी रहती हैं। उनमें सुधार की जरूरत है। दूसरे मालिक और श्रमिक के बीच के संबंधों में भी सुधार होना चाहिए। इसके लिए जातियों से जुड़ी पहले की सोच और मानसिकता को तोड़ने का प्रयास करना होगा। क्योंकि गांव में वर्ण-व्यवस्था और जाति-व्यवस्था पर जब तक चोट नहीं की जाएगी तब तक महिलाएं स्वतंत्र रूप में व्यवसाय चुन नहीं सकेंगी।

कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनसे पर्यावरण को भी कोई खतरा नहीं होता और गांवों में विकास की संभावनाएं भी बनती हैं। उदाहरण के लिए पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन आदि के लिए प्रयास किए जाएं और पहले के प्रयासों में और बढ़ोत्तरी की जाए। महिलाओं के लिए बागवानी उत्तम रोजगार है। गांवों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और स्कूलों की शुरुआत की जाए, जिनमें महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाए। टोकरियां बनाना, कुर्सी बनाना तथा गुड़िया बनाने का व्यवसाय ऐसा है जो बारह महीने चलता है। लेकिन इन व्यवसायों को बढ़ाने के लिए बने हुए माल की खपत के लिए गांवों को बाजार से जोड़ने की जरूरत है। पर गांवों को शहर बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।

इसके विपरीत कहीं-कहीं ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं के कार्य करने से पुरुष इस सीमा तक प्रभावित हो जाते हैं कि वे दिनभर कुछ काम ही नहीं करते। वे निकम्मे, निठल्ले, आलसी, जुआरी, शराबी हो जाते हैं। मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में ऐसा देखा और महसूस किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में विशेषतौर पर जहां महिलाएं हडिया (चावल का रस) बेचती हैं वहां के पुरुष आलसी हो जाते हैं।

कुल मिलाकर तो आज यही कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। वह हर मौसम की धूप, छांव में अपने घर परिवार तथा गांव के लिए कार्य कर रही हैं। साथ ही अपने अधिकारों के लिए दूसरे मोर्चे पर लड़ाई भी लड़ रही हैं। स्वयं जाग रही है, दूसरों को जगा रही हैं। यह भी कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा पंचायतों में महिलाओं की पहल तथा तीस प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत जुझारू महिलाओं के लिए प्रेरक बिंदू बने हैं। जैसे-जैसे ग्रामीण महिलाओं के भीतर चेतना का सूरज उगेगा वैसे-वैसे ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी भी और बढ़ेगी। वे स्वयं आने वाले कल की आशा हैं।

बी-जी-5-ए/30-बी,
पश्चिम विहार,
नई दिल्ली-110063

युवा महिलाओं के सर्वांगीण विकास की एक योजना

अनीता जोशी
बाल विकास परियोजना अधिकारी

बच्चे हमारी आबादी का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बाल जनसंख्या हमारा एक ऐसा नाजुक मानवीय-संसाधन है जिसके समुचित विकास पर भारत का सामाजिक और आर्थिक भविष्य निर्भर है। यदि भविष्य के बारे में गहराई से सोचा जाए तो स्थिति काफी खतरों की ओर संकेत करती है। कल का निर्माण करने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या आज जिन संकटों से गुजर रही है वह निश्चित ही किसी सुखद भविष्य की नींव नहीं कही जा सकती। उचित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए स्वस्थ होना पहली आवश्यकता है लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि हमारे देश के बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति काफी दयनीय है। बच्चों की इस दुखदायी स्थिति के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी कारण हैं, वह हैं — माताओं में व्याप्त कुपोषण, अशिक्षा और अज्ञानता— जिसके परिणामस्वरूप 30 प्रतिशत शिशुओं का जन्म के समय भार बहुत कम होता है। इससे पहले सात दिनों में ही उनकी मृत्यु की संभावना रहती है। इसके अलावा काफी बड़ी संख्या में बच्चे कम प्रतिरोधक क्षमता के कारण अनेक संक्रामक रोगों से ग्रस्त होकर अपना पहला जन्म दिन मनाने से पूर्व ही काल-कवलित हो जाते हैं और अगर बच भी गए तो उनमें से कई संक्रमण व कुपोषण के कुचक्र में फंस जाते हैं।

विज्ञान की इतनी प्रगति के बावजूद देश की महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया है। हालांकि हमारे संविधान में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं परंतु वास्तविकता यह है कि हमारे देश में महिलाएं अनेक कारणों से उपलब्ध सुविधाओं व अधिकारों के उपयोग से वंचित हैं। देश की लगभग तीन चौथाई महिलाओं का निरक्षर होना इसका प्रमुख कारण है। इन महिलाओं को घर की चहारदीवारी के बाहर की गतिविधियों से प्रायः कोई सरोकार नहीं होता। घर की चहारदीवारी के अंदर भी परम्परागत रूढ़िवादी तौर तरीकों से ही कार्य करना उसकी नियति बन कर रह जाती है।

हालांकि बाल स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अन्तर्गत सरकार ने काफी उदार नीति अपनाई है। राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की योजनाएं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाई जा रही हैं। ऐसी ही योजनाओं में से एक महत्वाकांक्षी योजना है विल (विमेन्स इन्टेगरेट्ड लर्निंग फार लाइफ) अर्थात 'जीवन के लिए महिलाओं का समेकित शिक्षण'। यह कार्यक्रम महिलाओं की शैक्षणिक कमी को पूरा करते हुए रोजमर्रा के जीवन को सही ढंग से चलाने और बच्चों के समुचित विकास में महिलाओं की जानकारी बढ़ाएगा।

'विल' के उद्देश्य

- निरक्षर लड़कियों और युवतियों को साक्षर बनाना।
- स्वास्थ्य और पोषण, स्वच्छता, परिवार कल्याण जैसे आवश्यक और व्यावहारिक विषयों के बारे में जागृति बढ़ाना।
- शिशु देखभाल और दैनिक गृह-प्रबंध का प्रशिक्षण देना।
- युवा महिलाओं को देश के प्रति उनके कर्तव्यों और अधिकारों की जानकारी देना ताकि अशिक्षित युवतियां भी देश की जिम्मेदार नागरिक साबित हो सकें।
- नव-साक्षर महिलाओं की शिक्षा के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए छोटे-छोटे वाचनालय खोलना।

लक्ष्य समूह

11-35 वर्ष की युवा महिलाएं इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य हैं। 35 वर्ष से अधिक उम्र की निरक्षर महिलाएं भी इसमें सम्मिलित हो सकती हैं।

सेवाएं

यह कार्यक्रम समेकित बाल विकास परियोजना आई सी डी एस कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में लागू किया जाएगा। इसमें निम्नांकित विषयों में महिलाओं को अनौपचारिक रूप से शिक्षित किया जाएगा:

- आधारभूत साक्षरता और अंकज्ञान
- स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी
- आहार और पोषण की आधारभूत जानकारी

- परिवार कल्याण कार्यक्रम
- गृह प्रबंध और घरेलू कलाएं
- शिशु देखभाल
- नागरिक शिक्षण।

इसके अलावा प्रसवपूर्व, प्रसवोत्तर देखभाल, शिशु पोषण, प्रतिरक्षण, सामाजिक परिवेश और बाल विकास जैसे विषय भी इसमें सम्मिलित हैं।

'विल' प्रशिक्षण की बड़ी खासियत यह है कि इसमें महिलाओं को उनकी पहचान बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके लिए महिलाओं को उनके लिए बनाए गए विशेष कानूनों और अधिकारों तथा मताधिकार जैसे राष्ट्रीय महत्व के तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। परिवार की आय को बढ़ाने और स्वालंबन जैसे गुणों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को शाक-वाटिका, मुर्गीपालन के सुव्यवस्थित तौर-तरीके सिखाना भी इस प्रशिक्षण का अहम हिस्सा है।

क्रियान्वयन

यह कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के वित्तीय और प्रशासकीय सहयोग से परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत चलाया जाएगा। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को "विल" प्रशिक्षण कक्षा चलाने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षक के तौर पर सौ रुपये अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाने का प्रावधान है। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा "विल" प्रशिक्षकों का चयन किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में शिक्षा विभाग के माध्यम से पहले से अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं वहां इस कार्यक्रम को लागू कर दोहराव की आवश्यकता नहीं है। किन्तु "विल" कक्षाओं को यदि परियोजना क्षेत्र में आंगनवाड़ी के साथ-साथ संचालित किया जाना आवश्यक समझा जाए तो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रशिक्षण न दे पाने की स्थिति में गांव की ही अन्य किसी योग्य महिला या किशोरी को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

इस प्रकार दूरस्थ ग्रामीण, आदिवासी अंचलों में किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने तथा अपने और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण की समुचित देखभाल के लिए आत्मनिर्भर बनाने में विल कार्यक्रम काफी कारगर साबित होगा। बच्चों को पर्याप्त सामाजिक मानसिक और शारीरिक विकास के अवसर प्रदान करते हुए उन्हें गंभीर कुपोषण, संक्रामक रोगों के खतरों से बचाना इस कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक होगा।

15-बी, राधानगर,
इन्दौर-452006

पाठकों के विचार

इस पत्रिका में "पाठकों के विचार" स्तंभ में पाठकगण ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर अथवा इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर अपने विचार भेज सकते हैं। ये विचार दो सौ शब्दों से अधिक के न हों और सम्पादक, कुरुक्षेत्र, कमरा न० 467, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेजे जाएं।

इसके लिए कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा परंतु उन पाठकों को पत्रिका की एक प्रति भेजी जाएगी जिनके विचार इस स्तंभ में प्रकाशित होंगे।

—सम्पादक

गांवों से पलायनः रुके तो कैसे ?

✍ पूरन सरमा

बापू ने आजादी से पहले ही कह दिया था कि असली भारत गांवों में है तथा गांवों के समग्र विकास से ही संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान संभव है। लेकिन आजादी के चार दशकों के बाद भी हमारे गांवों का लगभग वही हाल है जैसा कि उनका पराधीन भारत में था। उस समय तो हम यह मान सकते थे कि देश परतंत्र था लेकिन आज जबकि अपनी चुनी हुई प्रजातांत्रिक सरकार है, तो भी गांवों की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। वही गंदे खपरैल, मिट्टी के कच्चे मकान, मैले-कुचैले मोहल्ले, निम्न जीवन स्तर और रूखा-सूखा भोजन आज भी ग्रामीणों के भाग्य में है।

युवक न घर के, न घाट के

इससे उत्तम स्थिति तो तब थी--जब ग्रामीणों की आवश्यकता सीमित थी तथा वे परस्पर वस्तु विनियम के माध्यम से अपना गुजर-बसर आराम से करते थे। औद्योगिक तथा वैज्ञानिक विकास ने गांवों के जीवन को और दुरूह बना दिया है। गांव का लड़का थोड़ा-सा पढ़ा क्या, वह घर का रहा न घाट का। न वह घर के पारम्परिक काम करने योग्य रहा न ही शिक्षा ने उसे गांव में अपना कार्य करने की स्थिति में छोड़ा। यही नहीं, औद्योगीकरण ने गांवों के पारम्परिक लघु और कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया है जिससे ग्रामीणों के लिए गांवों में काम के अवसर नदारद होने लगे तथा जीविकोपार्जन के लिए वे गांव छोड़ कर शहरों की ओर दौड़ने लगे।

गांव का जुलाहा, दर्जी, नाई, रंगरेज, बढ़ई, मोची और सुनार बेकार होने लगे तथा काम की तलाश में वे शहर के दफ्तरों, फैक्टरियों के चक्कर में गांव से धीरे-धीरे पलायन करने लगे। इससे गांवों की डगर सूनी हो गई और उनके आस-पास के नगर महानगर का रूप लेने लगे। इससे जहां एक ओर गांवों की हालत बिगड़ी वहीं शहरी जीवन भी दिनों-दिन जटिल होने लगा। गांव में रहना नई पीढ़ी को रास नहीं आया तथा हर तनिक पढ़े-लिखे व्यक्ति का मोह शहर के प्रति जग गया। शहरों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शहरों में रोजगार तो मुश्किल हुआ ही, इसी के साथ आवास की समस्या भी विकराल होने लगी। जिनके पास निजी मकान थे, उनके पौ बारह हो गए। वे गांवों से आए लोगों से मनचाहा किराया ऐंठने लगे तथा विवशता में गांव के गरीब को शहर में अपना जुगाड़ जैसे-तैसे बिठाना पड़ा। उधर शहरों की जनसंख्या गांवों से हुए पलायन के कारण तेजी से बढ़ने लगी और जनसंख्या के इस दबाव से बीसियों प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गईं।

आज आवश्यकता है, गांव से ग्रामीणों के शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने की। यदि यह पलायन नहीं रुका तो शहर महानगर बन जाएंगे तथा गांव उजड़ कर बिल्कुल वीरान बन जायेंगे। सरकारी योजनाओं में गांवों के समग्र विकास के लिए अधिकाधिक धनराशि प्रदान कर वहां के लघु और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। वहां जिस वस्तु के कच्चे माल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता हो, वहां उसी पर आधारित उद्योग, छोटी मिलों और फैक्ट्रियों को विकसित किया जाना चाहिए। बैंकों के जरिए ऋण सुविधाएं देकर भी गांवों को खुशहाल बनाया जा सकता है। गांव के गरीब रंगरेज, दर्जी, सुनार, जुलाहा, मोची तथा बढ़ई को उसके पारम्परिक उद्योगों की स्थापना के लिए आधुनिकतम प्रशिक्षण के साथ आर्थिक सहयोग भी दिया जाना चाहिए--तभी वे अपने वंशानुगत व्यवसायों में अपने आपको लगा सकेंगे अन्यथा उनका अपने मूल व्यवसायों से जुड़े रहना मुश्किल होगा।

गांव का किसान थोड़ी-सी धरती पर सदियों पुराने औजारों के साथ कृषि कार्य कर रहा है। क्या उसे वैज्ञानिक साधनों की सहायता से कम कीमत पर ज्यादा फसल उगाने का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए ? आज स्थिति यह है कि किसान को वह जमीन कम पड़ रही है, जो उसे पुश्तैनी रूप में मिली है, क्योंकि उस जमीन पर खाने वालों की संख्या पांच से बढ़कर बीस हो गई है। अतः वह अपने कुछ सदस्यों को जीविका के अभाव में शहर में नौकरी-मजदूरी के लिए भेजने को विवश होता है। आज जरूरत नए साधनों, उन्नत तकनीक और उन्नत बीजों द्वारा और अधिक फसल लेने की है, तभी ग्रामीण कृपक अपनी पीढ़ी को गांव में ही टिका पाने की स्थिति में आ सकता है। अन्यथा भौतिक आवश्यकताएं और पेट की आग उसे गांव में नहीं रहने देगी और आगामी कुछ वर्षों में शहर ऐसी कठिनाइयों से घिर जाएंगे कि एक नया वर्ग-संघर्ष, एक अज्ञात चेतना के साथ शीत युद्ध के रूप में जन्म ले लेगा। तो क्या हमें उस शीत युद्ध जैसी स्थिति से आशंकित नहीं होना चाहिए ? गांव और शहर के आदमी में

एक संघर्ष पनपे उससे पूर्व ही हमें बतौर सावधानी अपने तथा सरकारी स्तर पर सतर्क व सचेत होकर कदम उठाने चाहिए।

हमारी शिक्षा प्रणाली ने गांव के बालक को वह दिशा नहीं दी जिसके जरिए वह गांवों से अपने को जोड़ पाता। पढ़ने के बाद लगता है कि गांवों का जीवन नीरस और उबाऊ है तथा पढ़े लिखे लोगों का स्थान शहरों में है। शिक्षा का ग्रामीण रोजगारोन्मुखी न होना भी इस कमी का बड़ा पहलू है। आज ग्रामीणों का अपने बच्चों को पढ़ाना तक आफत बन गया है क्योंकि पढ़ने के बाद लड़का उनके पारम्परिक व्यवसायों में हाथ नहीं बटाना चाहता, बल्कि उसे वे कार्य घटिया लगते हैं। वह नौकरी की ललक में पेंट कमीज पहनने तथा अंग्रेजी में बोलने के लिए तथा फैशनपरस्ती के लिए गांवों को यथाशीघ्र तिलांजलि देना चाहता है। ग्रामीण अब ऐसी शिक्षा का लाभ अपने बच्चों को नहीं दिलवाना चाहता जो उसमें अलगाव उत्पन्न करती हो। लेकिन निरक्षर रखना भी उसके लिए सामाजिक अपमान का कारण होता है। ऐसी स्थितियों में शैक्षिक विकृतियां ग्रामीणों की कठिनाई के रूप में सामने आई हैं।

सरकारी स्तर पर शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना, तकनीकी प्रशिक्षण और गांवों में उद्योगों का लगाया जाना ही गांवों को बचाने का प्रमुख साध्य होना चाहिए अन्यथा गांवों के उजड़ते घर ऐसी दर्द भरी दास्तान कहने लगेंगे जिनसे जन-जीवन घोर संकट की घड़ियों से घिर जाएगा।

124/61-62, अग्रवाल फार्म,
मानसरोवर, जयपुर–302020

प्रश्नों का उत्तर देना होगा

सागरमल शाह

उभरती चट्टानों वाले उजाड़ पर्वत ने कहा–
मुझ पर भी कभी लहलहाते थे जंगल
मैं देता था फल, लकड़ी, चारा और ईंधन
वन्य जीवों को देता था आश्रय
परंतु आज मैं स्वयं नंगा हूं।

सूखे पड़े तालाब ने कहा–
मुझ पर भी कभी हिलौरें लेता था जल
मेरे वक्षस्थल पर खिलते थे कमल
मैं बुझाता था सब की प्यास
परंतु आज मैं स्वयं प्यासा हूं।

गर्म लू के झोंकों ने कहा–
मैं भी कभी शीत समीर कहलाता था
अपनी ठंडक से सबको सहलाता था
मेरा स्पंदन सब के मन को भाता था
परंतु आज मैं स्वयं गर्म हो गया हूं।

अस्तित्व के लिए चितिंत धरती ने कहा–
मैं भी कभी शस्य श्यामला थी
जल स्रोतों की धारक थी
मैं करती हूं सबका पोषण
परंतु हो रहा है मेरा ही शोषण

सब ने एक साथ मानव से पूछा–
इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कौन ?
सुन कर भी मानव रहा मौन
मानव को निरुत्तर पाकर वे बोले–
तुम्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा
तुम्हें अपने कृत्यों का परिणाम सहना होगा।

1/87 शिवाजी नगर
डूंगरपुर-314001

ममता

✍ सुधीर 'ओखदे'

शाम को घर वापस आते ही भैरवी ने आज फिर बताया, "सुनो, आज वह फिर घर की खिड़की से एकटक हमारे घर की ओर देख रहा था। सच बताऊं कितना मासूम लग रहा था। ऐसा लगता था कि अभी दौड़ कर जाऊं और उसे सीने से लगा लूं। कितना मासूम बच्चा है। जब भी वह मुझे निहारता है ऐसा लगता है कि मानो उसकी मूक आंखें मुझसे कह रही हों, 'आंटी मैं आपके पास खेलने आऊं?'

उसका नाम अंकुर था। तीन साल का मासूम सा, सुंदर सा बच्चा। उसके माता-पिता दोनों नौकरी करते थे। दस बजे से पांच बजे तक यह बच्चा एक बूढ़ी आया के साथ उस घर में अकेला रहता था। दस के पूर्व आफिस जाने की जल्दी और पांच के बाद मानसिक और शारीरिक थकान। जीवन यांत्रिकता से भर गया था और इससे प्रभावित हो रहा था अंकुर। तीन साल का यह बच्चा अपने उस हक से वंचित था जो उसका अधिकार तो था ही जरूरत भी थी। उसका बालमन शायद इस उम्र में ही परिपक्व हो गया था।

खरे दम्पत्ति अपने इस छोटे से बच्चे के साथ दो माह पूर्व ही हमारे घर के सम्मुख रहने आये थे। उनके आने से भैरवी को लगा था कि शायद उसका भी एकाकीपन दूर हो जाएगा। भैरवी स्वयं पड़ोसी होने के रिश्ते से उनसे मिलने गयी थी। काफी अच्छी लगी थी श्रद्धा उसे और उसका बेटा अंकुर तो मानो भैरवी के हृदय में बस गया था। उस दिन शाम को भैरवी ने मुझे सब कुछ विस्तार से बताया था। श्रद्धा नौकरी करती है और उसकी सबसे बड़ी समस्या है उसका बेटा अंकुर। वैसे वे आया रखने वाले हैं। लेकिन फिर भी अभी तो बेटे की समस्या है ही। मैं कुछ कुछ समझ रहा था। चार साल के वैवाहिक जीवन में मां बनने की अभिलाषा से वंचित भैरवी, शायद क्षणिक ही सही, अंकुर के माध्यम से उस सुख को ढूंढ़ रही थी। मैंने भैरवी से कहा था, "देखो किसी भी प्रकार का निर्णय सोच समझ कर लेने से उसके अनिष्ट की संभावना कम रहती है। खरे दम्पत्ति को अभी हम ठीक से जानते भी नहीं हैं फिर किसी के भी बच्चे की जिम्मेदारी कोई आसान कार्य नहीं है। उस बच्चे से तुम्हारा स्नेह समझ में आता है। लेकिन उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी को उठाना तुम्हारी खुद की स्वतंत्रता पर भारी गुजरेगा। कुछ दिन तो तुम्हें अच्छा लगेगा लेकिन बाद में यही प्यारा बच्चा तुम्हें बोझ लगने लगेगा। आज जो तुम ये सब उस बच्चे के प्रति प्यार और सहानुभूति से करना चाहती हो। कल खरे परिवार इसे अधिकार समझ सकता है। तुम्हारी सौ अच्छाइयां पर केवल एक बुराई दोनों परिवारों के मध्य दरार पैदा कर सकती है। अतः मेरा फिर कहना है कि भावना को बुद्धि पर मत हावी होने दो।" लेकिन मेरे इन सारे उपदेशों का भैरवी पर कोई असर नहीं हुआ था और फिर एक दिन सुबह अंकुर दिनभर को रहने हमारे घर आया था। बस यहीं से आरंभ हुआ था भैरवी की व्यस्तता का दौर। अंकुर को नहलाने से लेकर उसके सम्पूर्ण कार्य भैरवी ही किया करती थी और अंकुर तो मानो भैरवी से इस प्रकार हिल-मिल गया था कि जैसे भैरवी के आगे उसकी सारी दुनिया खतम है। दिनभर घर में अंकुर की धमाचौकड़ी मची रहती थी और रोज शाम को पूरे दिन का साभिनय वर्णन मुझे भैरवी सुनाया करती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे। मैं खुश था क्योंकि भैरवी के एकाकी जीवन में नकली ही सही लेकिन बहार आ गयी थी। अंकुर भी खुश था क्योंकि उसके बालमन को पोषक खुराक मिल रही थी। खरे दम्पत्ति भी खुश थे कि कोई जिम्मेवार व्यक्ति उनके बच्चे को सम्हाल रहा है।

लेकिन दरार आयी और ऐसी आयी कि उसे जितना पाटने की कोशिश की गयी उतनी बढ़ती ही गई। दूरियां कब और कैसे आरंभ हुईं पता ही न चला। एक दिन अंकुर ने रात को भैरवी के पास सोने की जिद की। उस दिन खरे दम्पत्ति ने इसे छोटी सी जिद और भैरवी ने इसे अपने ममत्व की जीत समझा। अंकुर शाम को पापा मम्मी के आने के बाद भी भैरवी को छोड़ने को तैयार न होता था। पहले तो श्रद्धा मजाक मजाक में कहा करती थी, "भैरवी तूने तो मेरा बेटा ही पराया कर दिया।" लेकिन कुछ दिनों बाद इस मजाक ने सच्चाई का रूप लेना आरंभ किया। अंकुर की सदैव "आंटी-आंटी" की रट श्रद्धा को नागवार गुजरने लगी। उसे लगने लगा कि कहीं मेरी ममता पर भैरवी हावी तो नहीं होती

जा रही है। दूरियां बढ़ती गयीं। फिर एक दिन पदार्पण हुआ उस घर में आया का।

सुनो नौ बज गये अभी तक श्रद्धा अंकुर को छोड़ने क्यों नहीं आयी। मैं देख कर आती हूं जरा। कुछ ही देर बाद भैरवी अश्रुपूरित नयनों से वापस आयी थी। "देखा! मैंने इतना किया इन लोगों का लेकिन अब कहते हैं 'भैरवी तुमने अंकुर को काफी दिन सम्हाला। हम तुम्हारे आभारी हैं। आज से अंकुर को देखने के लिए हमने आया रख ली है।' कैसी जिद कर रहा था अंकुर मेरे साथ आने की लेकिन कितनी बेरहमी से श्रद्धा ने उसे उस बूढ़ी आया के पास ढकेल दिया।" दिन बीतते गये। कटुता बढ़ती गयी। भैरवी ने सामने की खिड़की ही बंद कर दी थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी नजर सामने की खिड़की पर पड़ी। शायद स्टूल पर खड़ा अंकुर अपनी आंटी को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। भैरवी ने फिर भी अपनी खिड़की न खोली। अब तो यह रोज का ही क्रम हो गया था। दिन भी अंकुर खिड़की के पास खड़े होकर भैरवी का इंतजार करता था। भैरवी भी दिनभर छुप-छुप कर उसे देखती रहती थी। दोनों अलग-अलग मनस्थिति में दिन गुजार रहे थे। रोज शाम को मुझे भैरवी उस खिड़की का वर्णन सुनाती।

अंकुर ने एक-दो बार भैरवी के पास आने की कोशिश की थी लेकिन बड़ी बेरहमी से उस बालमन की भावना को कुचल कर रख दिया गया था। बाद में हमें पता चला इस कारण अंकुर को काफी मार भी पड़ी थी और फिर एक दिन शाम को आफिस से घर आते ही भैरवी बोल पड़ी, "सुनो, आज दिनभर अंकुर खिड़की पर नहीं दिखा।" मैं चुप था क्या जवाब देता। भैरवी की मनःस्थिति को मैं अच्छी तरह समझ रहा था। एक दिन और बीता अंकुर फिर भी खिड़की पर नहीं दिखा। भैरवी ने कई बार अंकुर के घर की तरफ कदम बढ़ाए लेकिन शायद उसका अहं उसे कदम बढ़ाने से रोक रहा था।

रात के आठ बजे थे। अचानक घर में बजी घंटी की आवाज़ से दोनों की तंद्रा टूटी। श्रद्धा बदहवास सी दरवाजे पर खड़ी थी। भैरवी को देखते ही बोली, "भैरवी! दो दिन से अंकुर बुखार में तप रहा है। बस 'आंटी आंटी' की रट लगाए है।" आगे के शब्द भैरवी ने सुने ही नहीं। वह तेजी से लगभग भागती हुई अपने अंकुर के पास पहुंची। भैरवी को पास पाकर आश्चर्यजनक रूप से अंकुर की स्थिति में सुधार हुआ। अंकुर काफी दिनों बाद आज मुस्कराया था।

अंकुर अब बिल्कुल स्वस्थ था। श्रद्धा ने कहा, "भैरवी मुझे माफ कर दे मैं आज ही 'आया' को...। आगे के शब्द पूरे होने से पहले ही भैरवी ने कहा, "नहीं श्रद्धा! अब मुझे फिर से अंकुर को नहीं खोना है। बूढ़ी आया यहीं रहेगी और हम भी मिलते-जुलते रहेंगे। सच ही कहा है किसी ने ज्यादा मीठा हो तो मक्खियां आ ही जाती हैं और जहां मक्खियां हों वहां बीमारी तो पीछे-पीछे आती ही है। दूर से ही प्रेम स्थिर रहता है। 'अति' किसी भी चीज की बुरी होती है।" इतना कह कर भैरवी ने मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया था कि आज भावना बुद्धि पर हावी नहीं हो रही है।

III/2, आकाशवाणी कालोनी,
जलगांव (महाराष्ट्र)-425001

लेखकों से

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, कविता, संस्मरण, लघु कथा आदि रचनाएं टाइप कराकर दो प्रतियों में भेजिये। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होगा उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा अपना पता लिखा लिफाफा लगाना न भूलें। सभी रचनाएं संपादक, 'कुरुक्षेत्र', 467, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 के पते पर भेजें।

कापार्ट ने ग्राम विकास के नए कपाट खोले

✍ वेद प्रकाश अरोड़ा

ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र ने कापार्ट अर्थात् लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की छह क्षेत्रीय समितियां देश के विभिन्न भागों में बनाने का निर्णय किया है। इससे काम का विकेन्द्रीकरण होगा, परियोजनाओं को मंजूरी देने में लालफीताशाही कम होगी तथा चयन के काम में सुधार होगा। ये समितियां ऐसे स्वयंसेवी संगठनों का चयन करेंगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने की परियोजनाएं हाथ में लेंगी। इन समितियों में से पहली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए, दूसरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के लिए, तीसरी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के लिए चौथी उड़ीसा, बिहार और पश्चिमी बंगाल के लिए, पांचवीं महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोआ तथा छठी समिति समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कापार्ट गरीबी दूर करने की स्वैच्छिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए धन राशि प्रदान करता है।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री उत्तमभाई पटेल ने ग्यारह जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि परियोजना प्रस्ताव/नियमावली को क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करने का प्रस्ताव है जिससे कोई परियोजना इस कारण अस्वीकृत न हो जाए कि वह अंग्रेजी भाषा के प्रारूप के अनुरूप नहीं है।

ग्रामीण विकास सचिव श्री बी. एन. युगांधर ने स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ कापार्ट की भागीदारी की भूमिका और उसके विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कुछ कनिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का प्रस्ताव रखा है। भविष्य में देहाती इलाकों में काम करने के इच्छुक अधिकारियों को ग्रामीण विकास कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कापार्ट अध्यक्ष श्री लक्ष्मीधर मिश्र ने कहा कि परियोजनाओं की स्वीकृति में हेराफेरी और काम में घपलेबाजी की शिकायतें दूर करने के लिए अधिक जवाबदेही और खुलापन लाया जा रहा है। अभी स्वीकृत परियोजनाओं की राशि के निर्धारण के समय अथवा मध्यावधि समीक्षा को छोड़ परियोजनाओं पर लगातार निगाह रखने की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। तो भी कापार्ट की सतर्कता का ही परिणाम है कि जाली अथवा भ्रष्ट कार्यों में संलग्न 225 स्वयंसेवी संगठनों को समाप्त कर दिया गया है। जो स्वयंसेवी संगठन भ्रष्टाचार करने लगते हैं, उनके काम को बंद कर उन्हें हटा दिया जाता है।

स्वैच्छिक संगठन

लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद का एक प्राथमिक कार्य स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देना है। यह परिषद, जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला बाल विकास कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और ग्रामीण टेक्नालोजी उन्नयन कार्यक्रम आदि के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान करती है। सातवीं योजना अवधि में एक ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस की गई जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों की अधिकतम भलाई के लिए देशभर में स्वैच्छिक संगठनों को विकास कार्यों के लिए प्रेरित करे और उनमें समन्वय स्थापित करे। इसी उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने एक सितंबर, 1986 को लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन किया। इसका गठन दो स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं के परस्पर विलय से हुआ। ये संस्थाएं थीं–भारतीय लोक विकास कार्यक्रम (पाडी) तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कार्ट)। यह परिषद न केवल राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं बल्कि विशिष्ट स्थानीय परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को कार्य प्रवृत करती है। कापार्ट का भारत के ग्रामीण विकास में विशिष्ट योगदान है। कापार्ट रोजगार और आय बढ़ाने, सामुदायिक परिसम्पदाएं तैयार करने, आवास, पेय जल और सफाई जैसी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने पर जोर देता है। साथ ही वह साफ शुद्ध जल तथा साफ सुथरे परिवेश के महत्व के संबंध में जन-जन में चेतना उत्पन्न करता है। वह सामाजिक कल्याण और आर्थिक लाभ की गतिविधियों के लिए निर्धन ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को संगठित भी करता है।

श्री युगांधर ने बताया कि कई स्वयंसेवी संगठनों ने सबसे पिछड़े 135 जिलों में शोषणकारी सामाजिक और आर्थिक संबंधों को बदलने के लिए जन-आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार उन्हीं स्वैच्छिक संगठनों से काम लेती और कराती है जो वास्तव में काम कर रहे हैं और निष्ठावान तथा समर्पणशील हैं। कुछ विकास कार्यों में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका इतनी अच्छी रही है कि प्रधानमंत्री ने तो सम्बद्ध क्षेत्रों से अपने प्रशासनिक अधिकारी तक हटा लेने का प्रस्ताव किया है, केवल शर्त यह है कि स्वयंसेवी संगठन जिम्मेदारी लेने का संकल्प व्यक्त करें। कापार्ट स्वयंसेवी संगठनों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता तो देती ही है अब उसने विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका और कार्य-परिधि बढ़ाने के नए कदम उठाए हैं। सरकार का यह भरपूर प्रयास है कि सही ढंग और सच्चे मन से काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों का पता लगाकर उन्हें काम के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस मामले में पूर्वोत्तर का व्यापक क्षेत्र खाली पड़ा है। वहां छोटी-छोटी टोलियां बनाकर उन्हें पंजीकृत कर सही दिशा में काम के लिए प्रेरित करना होगा।

विद्यार्थी और उद्यमी

स्वैच्छिक क्षेत्र की ओर युवा तथा योग्य उद्यमी अधिक संख्या में आकृष्ट हो सकें, इसके लिए कापार्ट ने 100 विकल्प फैलोशिप (शिक्षावृत्तियां) देने का निर्णय किया है जिससे कालेजों के विद्यार्थी गर्मी की छुट्टियों में चुनी हुए स्वैच्छिक संस्थाओं में जाकर एक महीना बिता सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित सुविधाओं और गर्मी के प्रतिकूल मौसम के बावजूद विद्यार्थियों ने बहुत अधिक संख्या में इस अवसर का लाभ उठाया है। निस्संदेह उनके अनुभव और सहभागिता से लाभान्वित होकर अगले वर्ष और भी अधिक संख्या में विद्यार्थी इस शिक्षावृत्ति का लाभ उठाएगें। जहां तक योग्य युवा उद्यमियों के सहयोग का प्रश्न है, कुछ युवा उद्यमियों के काम से प्रभावित होकर उनकी कार्य-अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्हें स्वैच्छिक क्षेत्र में काम करते रहने को कहा गया है। कुछ युवा उद्यमियों का चयन राज्य सरकारें भी करती हैं। हालांकि परियोजना प्रबंध और विपणन के लिए व्यावसायिक दृष्टि से योग्यता-प्राप्त व्यक्ति रखने की कापार्ट की योजना बहुत सफल रही है तो भी अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोगों का ही अधिकाधिक चयन किया जाए। युवा व्यवसायियों को पहले दो वर्ष के अनुबंध पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी या उपयुक्त स्वयंसेवी संगठन के साथ रखा जाता है। कापार्ट के साथ इस अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के बाद इन युवा व्यवसायियों को अपना गैर-सरकारी संगठन आरंभ करने के लिए पर्याप्त सहायता दी जाती है। ग्रामीण विकास सचिव श्री युगांधर ने बाद में 18 जुलाई को राज्य सरकारों के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे बंजर भूमि विकास कार्यक्रम और सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लिए भी लोगों को उनसे जोड़ें और इन कार्यक्रमों में भी उन्हें भागीदार बनाए। उन्होंने ग्रामीण विकास के बारे में 14 सदस्यों वाली हनुमनतैया समिति की रिपोर्ट मोटे तौर पर स्वीकार कर लेने का सुझाव देते हुए बताया कि ग्रामीण विकास की योजना राशि दुगनी बढ़ा दी गई है और राज्यों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अपने तंत्र को मुस्तैद तथा चुस्त दुरुस्त करना होगा।

ग्रामीण टेक्नालोजी

लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यों में स्वैच्छिक संगठनों को स्थान विशेष और परिवेश के अनुकूल उपयुक्त टेक्नालोजी के प्रयोग और विकास में सहायता देती है। यह पारम्परिक तकनीकों के साथ-साथ नई टेक्नालोजी प्रयुक्त करने के लिए भी प्रयत्नशील रहती है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि गांवों के अनुकूल पुरानी या नई औद्योगिकी का अधिकाधिक प्रसार कर कैसे लोगों के जीवन में खुशहाली लाई जाए। वैसे भी ग्रामवासी इससे ग्रामीण प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार की अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने वाली संस्था की भूमिका निभाने की आशा करते हैं। ग्रामीण टेक्नालोजी को प्रोत्साहन देने के लिए यह संस्था एक तरफ तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसी संस्थाओं तथा अन्य वैज्ञानिकों से तो दूसरी तरफ स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों से संपर्क बनाए रखती है। इतना ही नहीं कापार्ट ने ग्रामीण टेक्नालोजी को सुधारने और समुन्नत बनाने के लिए अपने महानिदेशक लक्ष्मीधर मिश्र की अध्यक्षता में सलाहकार समिति बनाई है। स्वयंसेवी संगठन और वैज्ञानिकों के मेलजोल से विभिन्न क्षेत्रों में नई-नई तकनीकों का समावेश होता जा रहा है और पुरानी तकनीकें अद्यतन बनती जा रही है। केन्द्र ने परिषद के बहुआयामी कार्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्त वर्ष के लिए उसे लगभग 72 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। अगले वर्ष इस अनुदान राशि के बढ़कर 100 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है।

उपलब्धियां

यह संगठन पिछले आठ वर्षों से ग्राम विकास के लिए स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहित करता चला आ रहा है। अगर एक तरफ सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले संगठनों की संख्या कई गुना बढ़ गई है तो दूसरी तरफ सरकार इन संगठनों के कंधों पर नई-नई जिम्मेदारियां डालती चली जा रही है। कापार्ट ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने और जीवन में गुणवत्ता लाने के कामों के साथ-साथ जागृति उत्पन्न कर रहा है। इस प्रचार के जरिए सरकारी सहायता के लाभों को स्थायी बनाया जा सकेगा और गांवों के निर्धन व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ा सकेंगे तथा अपनी मांगों को जोरदार ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे। इन कार्यक्रमों और पंचायती राज अधिनियम के प्रभाव से ग्रामीण भारत का चेहरा खुशनुमा बन सकेगा। पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर जन-जागरण कार्यक्रमों के द्वारा पानी, सफाई, आवास और रोजगार के क्षेत्रों में निर्धन ग्रामीणों की सहायता की जाएगी। वैसे भी कापार्ट के गठन के बाद से उसने 240 करोड़ रुपये की लागत की 11,800 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से 1991-92 तक 7231 परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं। बाकी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस सबका परिणाम यह हुआ है कि कापार्ट के कार्यक्रमों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसका ठोस प्रमाण यह है कि कापार्ट को पिछले कुछ वर्षों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों में तथा ग्रामवासियों की उससे अपेक्षाओं में निरंतर वृद्धि रही है।

268, सत्यनिकेतन, मोती बाग,
नानकपुरा, नई दिल्ली-110021

सुदामाओं के स्वप्न महल बनें

डा. रामस्वरूप जोशी

राजस्थान सरकार जवाहर रोजगार योजना के तहत इंदिरा आवास कार्यक्रम में निर्धन और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए पक्के मकानों का निर्माण करवा कर सदियों पहले सुदामा को झोंपड़ी के स्थान पर महल देकर किए गए आर्थिक और सामाजिक उत्थान की पुनरावृति कर रही है।

झुंझुनूं जिले के गांव काकोदा के एक गरीब परिवार का शीशराम बड़े गर्व से कहता है कि सरकार ने मेरे झोंपड़े को 11 हजार 200 रुपये का अनुदान देकर पक्के मकान में बदल दिया है। अपने दुःखों की परिणति और पक्के मकान की सुखद अनुभूति से भाव विह्वल होकर बताता है कि "मैं और मेरा छोटा परिवार एक झोंपड़े में रहता था। गर्मी, सर्दी और बरसात हर मौसम में झोंपड़ी के तिनकों के तितर-बितर होने की चिंता सताती रहती थी। बरसात से पहले और बाद में भी झोंपड़ी की मरम्मत पर काफी श्रम और धन व्यय होता था। अब इस मकान के बन जाने से मैं इन चिंताओं से मुक्त हो गया हूं।"

इसी प्रकार के भाव काकोदा क ही 16 अन्य परिवारों के सदस्यों ने व्यक्त किये हैं। इन लोगों ने इंदिरा आवास कार्यक्रम के तहत अपने मकानों का निर्माण किया है। इंदिरा आवास कार्यक्रम के तहत झुंझुनूं जिले में वर्ष 1993-94 में 534 व्यक्तियों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिसमें से 461 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इन मकानों को बनाने के लिए 49 लाख 8 हजार रुपये की सहायता दी गई।

विशिष्ट योजना और समन्वित ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से जवाहर रोजगार योजना के तहत इंदिरा आवास कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति, बंधुवा श्रमिक और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को मकान निर्माण के लिए 14,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत आवास के लिए कोई विशेष डिजाइन नहीं है, परंतु निर्माण कार्य न्यूनतम 180 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्र में होना आवश्यक है जिसमें एक कमरा, रसोई, शौचालय तथा स्नानागार हों।

योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष 1993-94 में 19,958 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हुआ और 19,019 मकान निर्माणाधीन हैं। इसके लिए 22 करोड़ 87 लाख 94 हजार रुपये की सहायता दी गई है।

उप निदेशक-प्रचार,
विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग,
ई-750, न्याय पथ, गांधी नगर, जयपुर - 302013

वर्षा जल का संरक्षण जरूरी

✍ विमल राय

अच्छी खेती के लिए उर्वर मिट्टी के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में पानी की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें पानी वर्षा से प्राप्त होता है। अगर वर्षा के जल को इकट्ठा करके रोका जा सके व नष्ट होने से बचाया जा सके तो खेती के लिए पानी की समस्या एक सीमा तक हल हो सकती है। उद्योगों के बाद पानी की सबसे ज्यादा खपत फसल उत्पादन में होती है। एक अनुमान के अनुसार एक किलोग्राम शुद्ध लोहा या तांबा प्राप्त करने के लिए लगभग 2000 से 5000 लीटर जल की जरूरत होती है जबकि एक किलोग्राम सूखा वानस्पतिक पदार्थ पैदा करने के लिए विभिन्न फसलों में 300 से 800 लीटर पानी लगता है।

भारत में कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है। पानी के बहाव से उपजाऊ मिट्टी का क्षरण होता है जिससे फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। यह ऐसा कार्य है जिसमें सरकारी सहायता से ज्यादा किसानों में जागरूकता जरूरी है। किसान समकोण जुताई, मेड़बंदी, खेत के चारों ओर नालियां बनाकर, खेत में पेड़-पौधे लगाकर और सिंचाई तथा पशुओं को नहलाने तथा पाट आदि फसलों के रेशे निकालने जैसे कार्यों के लिए छोटे-छोटे तालाब बनाकर वर्षा का जल संरक्षित कर सकते हैं। किसानों को रबी की फसल कटते ही खेत की जुताई कर देनी चाहिए। यह जुताई ऐसी हो कि पानी के बहाव में रुकावट आए। अगर खेत की ढाल उत्तर दक्षिण है तो उसकी जुताई पूर्व पश्चिम में करने से पानी के बहाव में रुकावट आएगी। पौधों की बुआई भी ऐसी होनी चाहिए कि पानी का बहाव धीमा हो सके। इससे मिट्टी को पानी सोखने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।

खेतों की मेड़ धान जैसी फसल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऊंची मेड़ से पानी तो रुकता ही है साथ-साथ खेत की नरम मिट्टी बाहर नहीं निकलती। पानी के बहाव और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए खेतों में छोटे-छोटे पौधे भी उगाए जाने चाहिए। ये पौधे अगर मेड़ के पास हों तो हल चलाने में भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा, खेत में गोबर पानी सोखता है और अनियमित वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों को सूखने से बचाने में इससे काफी मदद मिलती है। सरकार की जल संभर (वाटर शैड) नीति इस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने में काफी सहायक सिद्ध हो रही है। इस नीति के तहत जल संभर को वानिकी, कृषि वानिकी, बागवानी, चरागाह, कृषि आदि विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों के वर्तमान तथा भावी तरीकों में विभाजित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस समय सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। मोटे तौर पर इन योजनाओं का उद्देश्य प्रौद्योगिकी में निवेश और लोगों की भागीदारी से सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए जल संभर के आधार पर भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है।

सरकार उन गांवों के पास स्थित जल संभरों को वरीयता दे रही है जिनमें पेयजल की समस्या है, जो पूर्णतः एक फसल वाली कृषि पर निर्भर करते हैं और जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अन्य वर्गों की जनसंख्या काफी अधिक है।

इन योजनाओं के तहत मृदा तथा नमी संरक्षण, वनारोपण कृषि वानिकी, चरागाह विकास, बागवानी, सूअर पालन, बत्तख पालन, मत्स्य पालन आदि गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन गतिविधियों को लोगों के सशक्त समर्थन से चलाया जा रहा है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

जल संरक्षण की जागरूकता सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए काफी जरूरी है। सूखाग्रस्त क्षेत्र उन्हें माना जाता है जहां भूमि के कटाव, पानी तथा नमी की कमी और सुरक्षा प्रदान करने वाली वनस्पति के अभाव के कारण पर्यावरण का ह्रास होता है, फसलों को नुकसान पहुंचता है, भूमि की उत्पादकता कम होती है तथा चारे और पेयजल की कमी हो जाती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र काफी लम्बे अरसे से बार-बार सूखा पड़ने के कारण प्रभावित होते रहे हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तेरह राज्यों के 96 जिलों के 626 खंडों में चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कुल 553 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके लिए धन का आवंटन केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है।

सरकार के मरुभूमि विकास कार्यक्रम के तहत भी वायुरोधी

(शेष पृष्ठ 35 पर)

जन्म शती पर विशेष

समग्र दृष्टा आचार्य विनोबा भावे

✍ सुरेश 'आनन्द'

समग्र दृष्टा आचार्य प्रवर विनोबा भावे की 11 सितम्बर 1994 को एक सौवीं वर्षगांठ है।

पूज्य विनोबा भावे ने जहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, वहीं धार्मिक स्तर पर गीता का सार भी लिखा। भारतीय दरिद्रनारायण की रक्षार्थ भूदान आन्दोलन का सूत्रपात भी किया। बाबा ने सम्पूर्ण राष्ट्र में पदयात्रा कर जहां जीवनभर भूमि का दान मांगा, वहीं वे खादी ग्रामोद्योग, गोपालन, आचार्यकुल स्वावलम्बन जैसे अनेक कार्यक्रमों के सूत्रधार भी रहे। उनकी दृष्टि सम्पूर्ण विश्व की ओर रही। वे सम्पूर्ण जगत का कल्याण चाहते थे।

वर्ष 1960 में मैंने भी बाबा को अपनी जिज्ञासा लिखी थी। प्रत्युत्तर में उन्होंने अपनी इन्दौर-उज्जैन की दिशा की ओर होने वाली पदयात्रा में सम्मिलित होने का निर्देश दिया।

विनोबा जी ने जब पदयात्रा करते हुए उज्जैन की सीमा में प्रवेश किया तब मैं भी उस पदयात्रा में सम्मिलित था।

प्रातः चार बजे का समय था। अंधेरा अपनी कहानी कह रहा था। बाबा के दाएं बाएं दो संन्यासी से व्यक्ति लालटेन लेकर चल रहे थे। पीछे-पीछे काफिला था। जिसका भी उनके साथ समय निश्चित था उन्हें बाबा के कदमों से कदम मिलाकर चलना होता था। मेरा भी नम्बर आया। बाबा के साथ चलता रहा। वर्तमान शिक्षा के परिवेश में चर्चा की। कार्यक्रम बताया। बाबा बोले—"मानेगा कौन ?" मैंने कहा, "बना है, तो करना ही पड़ेगा।" बाबा ने हंसते हुए सहज भाव से मेरी पीठ पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। मैं गद्‌गद् हो गया।

बीच में ही उज्जैन के निवासियों ने बाबा को बताया, "यहां से प्राचीन नगरी अवंतिका शुरू होती है।" बाबा ने इधर उधर देखकर पूछा—देखो, कृष्ण किसी पेड़ पर होंगे ? कालिदास भी छिपे होंगे ? उनका यह व्यंग्य जिसके भी पल्ले पड़ा वह मुस्कराकर या सहमकर रह गया। तभी निर्मला देशपाण्डे को ठोकर लगी। बाबा बोले, " तभी तो कहता हूं पगली, किसी का हाथ क्यों नहीं पकड़ लेती ?" कहने का अर्थ यह, बाबा केवल धार्मिक सामाजिक संत ही नहीं थे, वे हास्य व्यंग्य का पुट देने में भी माहिर थे।

संत प्रवर ने 1960 में तीस दिवसीय इन्दौर-पड़ाव डाला था। उस समय के विनोबा दर्शन को स्मरण करें, लगता है जैसे हम अभी भी उन्हें सुन रहे हैं। सभा में कितनी शांति थी। संत की गूढ़ रहस्यों से भरी वाणी, सधे हुए शब्द। वह कह रहे थे—

"सर्वोदय विचार की बुनियाद गहरी है। यह नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना का विषय है। अब हम जरा गहराई में जाना चाहेंगे। हमारी कोशिश होगी हृदय प्रवेश की। इस प्रक्रिया का ज्ञान हमें है, पर यह कितनी सधेगी, कह नहीं सकते। निज देह का बंधन जितना कम पड़े, उतना करना चाहेंगे, यही कोशिश हमारी रहेगी। कोशिश करते रहेंगे तो बाहरी चीजें हम छोड़ देंगे और मूलभूत विचार हम लोगों के सामने रख देंगे। उन्हें समझा देंगे इससे देश की ताकत बनेगी। हम देखते हैं कि देश में हर लोग मार्ग-दर्शन की तलाश में रहते हैं। हमारे जमाने को यही फिक्र है। हमारा संगठन मजबूत हो। पर यह संगठन लगाने का कार्य हमें पचता नहीं है। हमने इस प्रकार के संगठन को कभी माना नहीं। बहुतों का यह आक्षेप है हम कहीं कोई संगठन नहीं बनाते। वे कहते हैं यह शख्स केवल हवा पैदा करता है, संगठन नहीं करता। लेकिन हमको विचारों की जितनी कीमत, उतनी किसी की नहीं। विचारों की शक्ति ही हम मानते हैं। हम जानते हैं संगठन गिरने वाले हैं यह साइंस का जमाना है। और स्वतंत्र मानव विश्व के बीच कोई कड़ी साइंस नहीं मंजूर करेगा। धर्म वालों, किताब वालों ने दुनिया में फिकरे बन्दी चलाकर बहुत सी गलतफहमियां फैला दी हैं। इन सब कारणों से दुनिया में बड़ी कशमकश है।"

उपरोक्त उदाहरण से लगता है जैसे कोई देववाणी सुन रहे हैं। सब कुछ कांच की तरह साफ-साफ दिख रहा है। बाबा ने सचमुच हृदय-प्रवेश की कोशिश की थी। सच में बाहरी वस्तुएं छोड़ दी थी। सबने संगठन में समावेश किया था।

वे दूर दृष्टा थे, दर्शन और तर्कशास्त्र के मर्मज्ञ थे। वह मसीहा थे जिन्हें मालूम था विचार शक्ति कभी न कभी हिलोरें लेगी और देश विदेश के समाज को झकझोर देगी। चूंकि ईसा, दयानन्द, गुरु नानक, महावीर के जाने के बाद यही हुआ था। विनोबा वाणी भी यही करने वाली है। हर त्यागी तपस्वी स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए ही सोचता है।

(शेष पृष्ठ 35 पर)

ग्रामीण भारत में करवट लेती नई जिंदगी

ग्राम विकास एक व्यापक और सर्वांगीण अवधारणा है जिसमें ग्रामीण जनता के जीवन और ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर को उठाने के सभी पहलू शामिल हैं। संसदीय कृषि समिति ने 'समन्वित ग्रामीण विकास की नई कार्यनीति' के संबंध में 1992 में संसद के मानसून सत्र में पेश की गई रिपोर्ट में इसी समग्र उत्थान की परिकल्पना को उजागर किया। रिपोर्ट में दी गई तीनों बातें इसी केंद्र बिन्दु की व्याख्या कही जा सकती हैं। इसकी पहली बात यह है कि ग्रामीण विकास को ग्राम समाज के संपूर्ण विकास के तथा समीचीन ग्रामीण विकास कार्यक्रम को इस समूचे प्रयास के अंग के रूप में देखा जाए। दूसरी बात यह है कि कृषि के दीर्घकालीन सम्पुष्ट विकास से ही ग्रामीण विकास संभव हैं, क्योंकि कृषि और ग्राम विकास का परस्पर गहरा संबंध है और तीसरी बात यह है कि कृषि और गैर-कृषि कार्यों, दोनों के विकास को बल प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाए। सार्वजनिक लेखा समिति ने भी अपनी 91वीं रिपोर्ट में जोरदार शब्दों में सिफारिश की है कि बेहतर समन्वय और निर्देशन के लिए ग्राम विकास के सभी कार्यक्रम एक ही छतरी के नीचे लाए जाएं। इसीलिए 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जिस स्पंदनशील पंचायती राज को स्थापित किया गया है, उसमें जिले और जिला परिषद का सर्वोच्च स्थान होगा। मध्यवर्ती और ग्राम पंचायतें जिला परिषद के अंतर्गत काम करेंगी। ये पंचायती राज संस्थाएं ही गांवों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए देहाती क्षेत्रों की योजनाएं बनाएंगी और लागू करेंगी। इन संस्थाओं की सीधी भागीदारी ग्रामीण निर्धनों के जीवन को सुखी बनाने में बहुत सहायक होगी। गरीबी कम करने की मद के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना की 10,650 करोड़ रुपये की राशि वर्तमान आठवीं योजना में बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर देने से और पंचायती राज के स्थापित होने से ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अर्थात जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत देहाती इलाकों के बेरोजगार और कम रोजगार नर-नारियों को अतिरिक्त लाभकारी रोजगार दिलाने के प्रमुख उद्देश्य को काफी हद तक मूर्त रूप दिया जा सकेगा। जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को ऊपर उठाना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को नौकरियों में प्राथमिकता देना तथा रोजगार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं को देना है। जवाहर रोजगार योजना की व्यय राशि का 80 और 20 प्रतिशत क्रमशः केन्द्र और राज्य देते हैं। योजना के अंतर्गत कोई भी परियोजना बिचौलियों या ठेकेदारों को नहीं सौंपी जाती। साधनों का कम से कम साठ प्रतिशत मजदूरों की मजदूरी पर खर्च किया जाता है। मजदूरों को सबसिडी पर प्रतिदिन दो-दो किलोग्राम अनाज दिया जाता है। 1989-90 से 1992-93 तक के चार वर्षों में केन्द्र और राज्यों ने इस कार्यक्रम पर 10,75,308 लाख अर्थात एक खरब सात अरब रुपये से भी अधिक राशि खर्च की है। इस अवधि में 32,940 लाख मानव दिवस रोजगार जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में इससे भी अधिक अर्थात 33,302 लाख मानव दिवस रोजगार जुटाया गया। अब आठवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए 18,400 करोड़ अर्थात एक खरब 84 अरब रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

जवाहर रोजगार योजना का विस्तार कर उसकी परिधि में दस लाख कुओं की निर्माण-परियोजना, इंदिरा आवास परियोजना तथा ग्रामीण सफाई भी सम्मिलित कर ली गई है।

दस लाख कुओं की निर्माण परियोजना

जहां तक दस लाख कुओं की निर्माण परियोजना का संबंध है, यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत सिंचाई के लिए खुले कुएं मुफ्त बनाए जाते हैं। इन किसानों में भी अनुसूचित जातियों/जनजातियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है।

जवाहर रोजगार योजना के लिए निर्धारित कुल राशि में से इस परियोजना का हिस्सा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। पिछले चार वर्षों में 1,41,714 लाख रुपये के व्यय से लगभग 4 लाख 97 हजार कुएं बनाए जा चुके हैं। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के लिए 763 करोड़ हजार रुपये की केंद्रीय राशि नियत की गई थी जो इस वर्ष बढ़ाकर 902 करोड़ 70 लाख रुपये कर दी गई है।

इंदिरा आवास परियोजना

जहां तक इंदिरा आवास परियोजना का संबंध है, यह गरीब ग्रामीण व्यक्तियों की आवास आवश्यकताएं पूरी करने के लिए शुरू की गई है। इसके अधीन गांवों में भी सबसे गरीब व्यक्तियों के लिए मुफ्त रिहायशी इकाइयां बनाई जाती हैं। इस कार्यक्रम में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है। जवाहर रोजगार

योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित कुल राशि का दस प्रतिशत इस कार्यक्रम के लिए रखा जाता है। पिछले वर्ष दिसंबर तक डेढ़ लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके थे। इस वर्ष इस योजना के लिए 30,090 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

ग्रामीण आवास योजना

गांवों में मकान बनाने की ही एक नई योजना 1993-94 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों को ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिए निर्धारित कुल राशि का 50 प्रतिशत देता है। स्थलों और सेवाओं के विकास के लिए 2,700 रुपये, मकानों के सुधार के लिए 6 हजार रुपये और नए मकानों के निर्माण के लिए 12 हजार रुपये तक की राशि लाभार्थी को दी जाती है। स्थलों और सेवाओं के विकास में स्वच्छ शौचालय, धुआं रहित चूल्हे, गंदे पानी की निकासी और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। ये सब सुविधाएं मकानों के सुधार अथवा नए मकानों के निर्माण में भी प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण मकान निर्माण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 350 करोड़ रुपये और 1994-95 की वार्षिक योजना में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गांवों के गरीब लोगों के लिए रोजगार और आय का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रोजगार की अन्य कई योजनाएं भी हाथ में ली गई हैं, जैसे :

सुनिश्चित रोजगार योजना

प्रधानमंत्री द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, 1993 को की गई घोषणा के अनुसार उसी वर्ष दो अक्टूबर को गांधी जयंती से यह योजना ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित आधार पर जुटाने के लिए आरंभ की गई।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि के कम कामकाज के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक दृष्टि से ऐसे सभी सक्षम व्यक्तियों को शारीरिक श्रम वाला लाभकारी रोजगार दिलाना है जिन्हें जरूरत हो और जो काम करने के इच्छुक हों। साथ ही इसके जरिए सम्पुष्ट रोजगार और विकास के लिए बुनियादी आर्थिक ढांचे और सामुदायिक परिसम्पदा का निर्माण किया जाता है। यह योजना सूखे की आशंका वाले, रेगिस्तानी, जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में लागू की गई है, जहां संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अमल हो रहा है। इस योजना से गांवों के 18 वर्षों से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र के नर-नारी लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक परिवार में अधिक से अधिक दो वयस्कों को वर्ष में सौ दिन का रोजगार दिया जाता है। इस वित्त वर्ष में इस मद के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सत्तर के दशक के मध्य में 2300 खंडों में स्वरोजगार पैदा करने के लिए आरंभ किया गया था। 1980 में गांधी जयंती अर्थात दो अक्टूबर से यह कार्यक्रम देश के सभी खंडों में लागू कर दिया गया। यह गरीबी दूर करने का प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को प्राथमिक, दूसरे और तीसरे स्तर के लिए उत्पादक परिसंपदाएं और निविष्टयां प्रदान की जाती हैं। यह सब कुछ सबसिडी और सावधिक ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता के जरिए उपलब्ध कराया जाता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबों में भी सबसे गरीब व्यक्ति पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। किसी भी ऐसे परिवार को गरीबी की रेखा के नीचे माना जाता है जिसकी वार्षिक आय, 1991-92 के मूल्य स्तर के आधार पर 11,000 रुपये या इससे कम हो। सहायता-प्राप्त परिवारों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के और तीन प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के परिवारों के होते हैं। इसी तरह सहायता प्राप्त व्यक्तियों में से 40 प्रतिशत महिलाएं होती हैं। ग्राम पंचायतें सहायता-योजना तैयार करती हैं और इन्हें जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के जरिए लागू किया जाता है। केन्द्र और राज्य सबसिडी राशि का आधा-आधा देते हैं। कार्यक्रम के आरंभ होने के बाद गत वर्ष मार्च तक चार करोड़ 22 लाख परिवारों की सहायता की जा चुकी थी और उन्हें 6880 करोड़ रुपये दिये जा चुके थे। आठवीं योजना में एक करोड़ 26 लाख परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है और इस काम के लिए 6650 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। 1994-95 में केन्द्र ने इस काम के लिए 675 करोड़ रुपये की राशि नियत की है।

ग्रामीण-युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को विविधता और संबल प्रदान करने के लिए ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवकों को मूल तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल प्रदान करना है जिससे वे कृषि और सम्बन्द्ध क्षेत्रों, उद्योगों, सेवाओं और व्यापार के क्षेत्र में अपना काम धंधा शुरू कर सकें या रोजगार पा सकें। कार्यक्रम आरंभ होने के बाद लगभग 30 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पिछले वित्त वर्ष दिसंबर

तक एक लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया। आठवीं योजना की अवधि में 19 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 14 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

ग्रामीण कारीगरों के लिए सुधरे औजारों की किट

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ही गरीब ग्रामीण दस्तकारों को सुधरे औजारों की किट राज्यों और संघ क्षेत्रों के चुने हुए जिलों में दी जाती है। यह किट औसतन दो हजार रुपये की होती है। इसका 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार सबसिडी के रूप में देती है तथा दस प्रतिशत लाभान्वित होने वाला व्यक्ति स्वयं देता है। आठवीं योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत पांच लाख ग्रामीण दस्तकारों को यह सुविधा देने का प्रस्ताव है। वर्तमान वित्त वर्ष में केन्द्र सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी। जुलाई 1992 में आरंभ किए गये इस कार्यक्रम का उद्देश्य देहाती कारीगरों के उत्पादों की गुणवत्ता सुधारना, उत्पादन और आय बढ़ाना तथा आधुनिक औजारों के प्रयोग से जीवन-स्तर को बेहतर बनाना है।

सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों का सुधार

समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संतुलन कायम करने के दीर्घकालीन उपाय के रूप में सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों का सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है। भूमि, जल, पशुसंपदा और मानवीय साधनों को सुरक्षित तथा विकसित कर और काम में लगातार यह संतुलन कायम किया जाता है। इलाके के प्राकृतिक साधनों के समन्वित विकास से और समुचित टेक्नालोजी के प्रयोग से फसलों और पशुधन के उत्पादन और भूमि, जल तथा मानवीय साधनों की उत्पादकता पर सूखे का प्रतिकूल प्रभाव कम से कम करने का प्रयास किया जाता है। व्यय में केन्द्र और राज्यों की भागीदारी 50:50 रखी गई है। इस कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी भी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की है। कार्यक्रम आरंभ होने के बाद से 27.1 लाख हेक्टेयर जमीन को संवार, सुधार और विकसित कर उसकी मिट्टी और नमी का संरक्षण किया जा चुका है। जल संसाधनों में वृद्धि के लिए 8.94 लाख हेक्टेयर तथा वन लगाने और चरागाह के विकास के 16 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाई जा चुकी है। इस वित्त वर्ष के बजट में सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के लिए ८ करोड़ रुपये रखे गये हैं।

ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम, डवाकरा

गरीबी कम करने के कार्यक्रम में महिलाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र बाल सहायता कोष, यूनीसेफ के सहयोग से ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम, डवाकरा परीक्षण के रूप में चुने हुए 50 जिलों में शुरू किया गया। तब से इस कार्यक्रम का विस्तार होता चला गया है और अब यह देश के 355 जिलों में लागू है। जिलों का चुनाव करते समय उन जिलों को प्राथमिकता दी जाती है जहां महिलाओं में साक्षरता दर कम है और शिशु मृत्यु दर अधिक है। उद्देश्य यह है कि ग्रामीण जनता में सबसे पिछड़े वर्गों को सबसे पहले लाभ मिले तथा उनमें भी गरीब परिवारों में महिलाओं की आय में वृद्धि हो, जिससे वे आर्थिक स्वावलंबन के लिए सामाजिक विकास में संगठित रूप से भाग ले सकें। इस कार्यक्रम में गांवों के निर्धन परिवारों में दस से पंद्रह महिलाओं के समूह तैयार कर उन्हें स्वरोजगार के लिए कर्ज, शिल्प प्रशिक्षण तथा अन्य बुनियादी सहायता समर्थन प्रदान किए जाने पर जोर दिया जाता है। महिला समूह बनाने का उद्देश्य महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, पोषण, पानी और सफाई की बुनियादी सेवाओं को सुधारना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 60 हजार महिला समूह बनाए जा चुके हैं और दस लाख व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से रेगिस्तानी क्षेत्र और बंजर भूमि के सुधार के उपाय भी किए जा रहे हैं।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में 1977-78 में आरंभ किए गए मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थल को फैलने से रोकना, रेगिस्तानी इलाकों में सूखे की भीषणता कम करना, पर्यावरण का संतुलन बहाल करना, भूमि की उत्पादकता बढ़ाना और जल-संसाधनों में वृद्धि करना है। रेगिस्तान रोकने के लिए रेत के टीलों को सीमित किया जाता है, आश्रय पट्टी बनाई जाती है, हरी घास के क्षेत्र का विस्तार किया जाता है, नमी और मिट्टी को सुरक्षित किया जाता है तथा जल स्रोतों को बढ़ाया जाता है।

बंजर भूमि विकास

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड वनों को छोड़ अन्य इलाकों जैसे रेगिस्तानों, पहाड़ों, बीहड़ों, खान क्षेत्रों या दुर्गम क्षेत्रों में खेती के अयोग्य भूमि का विकास करने, उसे खेती के लायक बनाने, वन लगाने और पौधशालाएं बनाने का काम करता है। यह बोर्ड पहले पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था पर बाद में इसे बंजर भूमि विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया

गया, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का ही एक हिस्सा है। यह बोर्ड न केवल बंजर भूमि को खेती योग्य बनाता है बल्कि जलावन लकड़ी और चारे आदि की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। यह योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के जरिए लागू की जाती है। योजना के तहत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वन लगाने के काम को बढ़ावा देने तथा बंजर भूमि के विकास के लिए पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों, सहकारी समितियों, महिला मंडलों, युवा मंडलों और अन्य ऐसे ही संगठनों को 100 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान दिया जाता है।

राजीव गांधी पेय जल मिशन

ग्रामीण जनता को सुरक्षित पेय जल देने के लिए पहले से चले आ रहे राष्ट्रीय पेय जल मिशन का नाम बदलकर 1991-92 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन रख दिया गया। यह गांव-गांव में पानी पहुंचाने के लिए राज्य सूची के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, केन्द्र परिचालित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, दीर्घकालीन आधार पर ग्रामीण जल सप्लाई के 55 मिनी मिशनों और गिनी कीड़ों के उन्मूलन, जहरीली गैस पर नियंत्रण, फालतू लौह के निवारण, खारेपन पर नियंत्रण और जल स्रोत की वैज्ञानिक खोज तथा जल संरक्षण के पांच उपमिशनों के कार्यों को भी मूर्त रूप दे रहा है। 31 मार्च, 1993 तक 725 स्रोत विहीन समस्याग्रस्त-गांवों को छोड़ बाकी सभी गांवों में पानी की सप्लाई की कारगर व्यवस्था की जा चुकी है। इन सब निर्माण और रोजगारपरक कार्यों के अलावा सरकार समय-समय पर भूमि सुधार लागू करती रहती है जिससे समतावादी सामाजिक ढांचा तैयार किया जा सके, जोतने वाले को जोत दी जा सके तथा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ सके। आठवीं योजना में भूमि सुधारों का उद्देश्य बिचौलियों को हटाना, पट्टेदारी में सुधार करना, कृषि भूमि की अधिकतम सीमा बांधना, फालतू भूमि का वितरण करना, चकबंदी करना तथा भू रिकार्डों को अद्यतन बनाना है। एक करोड़ 12 लाख से कुछ अधिक काश्तकारों को एक करोड़ 53 लाख एकड़ से अधिक जमीन के मालिकाना अधिकार दिए जा चुके हैं। भूमि की अधिकतम सीमा बांधने के कानूनों के अंतर्गत 30 सितंबर 1993 तक लगभग 74 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की जा चुकी थी। 50 लाख एकड़ से अधिक भूमि 48 लाख से अधिक व्यक्तियों में बांटी जा चुकी है। भूदान में प्राप्त 23 लाख 30 हजार एकड़ भूमि और एक करोड़ 27 लाख से कुछ अधिक बंजर भूमि भी वितरित की जा चुकी है। फालतू भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भूमि के उत्पादक प्रयोग के लिए 59 करोड़ 72 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इसी तरह अब तक 15 करोड़ 28 लाख से अधिक भूमि की चकबंदी की जा चुकी है।

बजट

वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में सब कार्यों को आगे बढ़ाते हुए खेत खलिहानों और ग्रामीण क्षेत्रों में नया जीवन लाने का एक संतुलित और विकासमूलक गतिशील प्रयास किया गया है। इसमें से मुस्काता किसानी चेहरा साफ उभरता दिखाई देता है। बजट से न सिर्फ किसानी कर्म को बेहतर बनाने, खेतों में पैदावार बढ़ाने, उपज और कृषि जन्य पदार्थों को परिशोधित कर उन्हें बाजार में लाने और स्पर्धा लायक बनाने, इसके लिए समूचे देश को साझा बाजार बना देने, कृषि आधारित कुटीर और लघु उद्योगों के विस्तार को गति देने तथा इन सब कार्यों के लिए कर्ज देने की योजना को सुचारु बनाने, इसके लिए डूबते ग्रामीण बैंकों को उबारने, सहकारी ऋण संस्थाओं के तंत्र को मजबूत बनाने तथा इन सब के ऊपर ग्रामीण विकास कार्यों को मूर्तरूप देने में ग्रामवासियों के लिए रोजगार के नए-नए अवसर जुटाने का स्वर साफ उभरता दिखाई देता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट राशि पिछले बजट की 5,010 करोड़ रुपये की रकम से बढ़ाकर 7,010 करोड़ रुपये कर दी गई है। पिछले वर्ष की निर्धारित राशि से यह 40 प्रतिशत अधिक है। यह बढ़ी हुई राशि इस दृष्टि से और भी उल्लेखनीय है कि दो वर्ष पहले अर्थात 1992-93 के बजट अनुमानों में ग्रामीण विकास की मद में 3100 करोड़ रुपये रखे गये थे। अब यह राशि उससे दुगनी से भी अधिक निर्धारित की गई है। इस वित्त वर्ष में कृषि की मद के लिए तो 2000 करोड़ रुपये की विशाल राशि निर्धारित की गई। कृषि क्षेत्र की विकास गाथा की एक अन्य ध्यान आकृष्ट करने वाली विशेष बात यह है कि बागवानी के विकास के लिए पहले से 42 प्रतिशत अधिक राशि निर्धारित की गई है। 1994-95 के बजट के साथ अगर हम कृषि नीति के संशोधित प्रारूप, कृषि क्षेत्र को विविधता प्रदान करने, किसानों के लिए खरीफ और रबी फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाने, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए व्यय राशि का अधिक प्रावधान करने, प्रत्येक राज्य के एक जिले में प्रायोगिक फसल बीमा योजना आरंभ करने, राष्ट्रीय सहकारी बैंक का पंजीकरण करने, चुनींदा जिलों में ग्राम उद्योगों का विकास करने, ड्रिप सिंचाई के काम पर 50 प्रतिशत की विशेष सबसिडी देने, सहकारी समितियों की राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप देने, अनाजों और तिलहनों की अधिक उपज देने वाले संकर और अन्य बीज किसानों को देने,

देश के विभिन्न जिलों में कृषि विकास केन्द्रों के खुलते जाने तथा वर्षा पर निर्भर इलाकों में जल वितरण कार्यों का विस्तार करने पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि कृषि क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने तथा कृषि कर्म को लाभकारी बनाने की योजनाओं की कमी नहीं है। इनके लिए पूंजीनिवेश की भी कमी नहीं है, कमी खटकती है तो संकल्प की या फिर संकल्प को दृढ़ता से मूर्त रूप देने की। अगर यह कमी दूर हो जाए तो न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की काया पलट जायेगी बल्कि भारत प्रति एकड़ उत्पादकता में अन्य कई देशों से पिछड़ा रहने की बजाय विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

पृष्ठ 29 का शेष

पौधरोपण, चरागाह विकास, नमी संरक्षण तथा जल संसाधन विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है।

सरकार की इन योजनाओं के बावजूद अगर वर्षा जल संरक्षण की दिशा में अधिक सफलता नहीं मिल पाई है तो इसका कारण किसानों में जागरूकता का अभाव है। किसानों को इस दिशा में जागरूक बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। वैसे गांवों में अभी भी रेडियो के जरिये किसान खेतीबाड़ी के कार्यक्रमों को सुनते हैं पर उनमें से बहुत कम ही उस जानकारी का उपयोग कर पाते हैं। अब गांवों में धीरे-धीरे दूरदर्शन के दर्शक बढ़ रहे हैं। इसलिए दूरदर्शन पर कृषि संबंधी और अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर किसानों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। किसानों को वर्षा जल का पूरा लाभ उठाने के लिए आरुणी की भावना से काम करना होगा, जो आश्रम के खेत में पानी को बहने से रोकने के लिए टूटी हुई मेड़ के पास स्वयं लेट गया था।

310, आदर्श नगर,
पो०–बड़ा बहेरा,
जि०–हुगली (प० बंगाल)
पिन–712245

पृष्ठ 30 का शेष

वह अनेक पुस्तकों के रचियता थे। लगभग 45 पुस्तकें हमारी समक्ष हैं, जिनके माध्यम से धर्म, अध्यात्म, भूदान, खादी, ग्रामोद्योग, गोपालन आदि विषयों पर उनके विचारों को समझा जा सकता है। गीता प्रवचन व तीसरी शक्ति चिंतन मनन योग्य है।

'तीसरी शक्ति' की भूमिका में जयप्रकाश जी ने लिखा है "विनोबा जी ने तीसरी शक्ति की एक कल्पना की है जिसका सैद्धांतिक प्रतिपादन तथा व्यावहारिक व्याख्या इस पुस्तक में संकलित उनके भाषणों में पायी जाएगी। वर्तमान सर्वोदय विचार तथा आन्दोलन को समझने के लिये उस पुस्तक का अध्ययन अनिवार्य होगा।"

स्वतंत्रता पश्चात जहां गांधीजी के चहेते शिष्यों ने राजसिंहासन की ओर ललचाई निगाहों से देखा, वहीं विनोबा भावे ने सामाजिक बदलाव में अपने को खपा दिया। भूदान, गोपालन, खादी ग्रामोद्योग और महिला स्वतंत्रता उनके प्रिय विषय रहे। इसके लिए सम्पूर्ण राष्ट्र की पद यात्रा करके उन्होंने एक क्रांति का सूत्रपात किया।

आचार्यकुल के माध्यम से शिक्षकों तथा बुद्धिजीवी वर्ग को राष्ट्र की समस्याओं का रचनात्मक पहलू समझाया। वह प्रखर बुद्धिवादी थे। वह चलते चलते देशी-विदेशी भाषाएं सीख लेते थे, लगभग अठारह भाषाओं के ज्ञाता थे। वह कहा करते थे। "केवल एक भाषा सीखने से तो दुनिया की एक ही खिड़की ही खुलेगी। सभी से दोस्ती के लिए बहुभाषी होना आवश्यक है।"

गांधी युग का यह दीप 1982 को दीपावली के दिन बुझ गया। तब ऐसा लगा कि राष्ट्र का रचनात्मक युग समाप्त हो गया लेकिन उनका दिखाया मार्ग सचमुच में उन्हें हमेशा हमेशा हमारे मध्य रखेगा।

8/5 शहर सराय, रतलाम,
(मध्य प्रदेश) पिन कोड 457001

राजस्थान में जनता जल योजना

✍ अशोक कुमार यादव

राजस्थान में पेय जल एक विकट समस्या है। सरकारी स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। लेकिन परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहे हैं। अब यह महसूस किया जाने लगा है कि योजनाओं के सफल संचालन के लिए उनमें जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। विभिन्न योजनाओं में यदि जनता की भागीदारी बढ़ती है तो उन योजनाओं की सफलताओं की सम्भावना में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

राजस्थान सरकार ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य में मार्च 1994 से जनता जल योजना की शुरुआत की है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की पेय जल योजनाओं के सफल संचालन और रख-रखाव में लोगों की भागीदारी प्राप्त करना है।

ऐसे क्षेत्रों में जहां पेय जल उपलब्ध कराने का कोई साधन नहीं है अथवा जलप्रदाय विभाग के मापदण्ड के अनुसार वहां जलप्रदाय योजना नहीं बन सकती है उन स्थानों पर जनता जल योजना स्वीकृत करने का प्रावधान रखा गया है।

जनता जल योजना के तहत यदि किसी क्षेत्र में स्थित कुएं के पेयजल को वहां की पंचायत या नागरिकों की समिति उपलब्ध कराने का जिम्मा लेती है तो उस कुएं पर प्रति माह राजस्थान विद्युत मण्डल को विद्युत खर्च के रूप में जमा कराई जाने वाली राशि का पुनर्भरण जल प्रदाय विभाग द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार ने ऐसे कुओं को जल प्रदाय विभाग से गहरा कराए जाने के लिए राशि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल ऐसे कुओं को अकाल सहायता मद से गहरा कराया गया है। राज्य सरकार ने ऐसे कुओं पर विद्युत मोटर मरम्मत के लिए भी अनुदान सहायता देने की व्यवस्था की है।

जनता जल योजना राज्य में 500 तक की आबादी वाले गांवों में जिला कलेक्टरों तथा अधीक्षक अभियंताओं की समितियों द्वारा स्वीकृत की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के सामान्य जिलों में कुओं पर मोटर की व्यवस्था स्थानीय नागरिकों की समिति के माध्यम से की जाएगी। रेगिस्तानी जिलों तथा ऐसे जिलों में जहां पानी गहराई में मिलता है वहां मोटर की व्यवस्था जलप्रदाय विभाग से कराने की व्यवस्था है। बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर और नागौर जिलों में यह व्यवस्था जल प्रदाय विभाग करेगा।

जनता जल योजना में कुएं पर लगाई गई विद्युत मोटर को चलाने के लिए जलप्रदाय विभाग कोई भी विभागीय कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराता है। स्थानीय ग्रामीण पेय जल समिति को ही इसके लिए अंशकालीन कर्मचारी रखना होता है। यदि ग्राम समिति उचित समझे तो योजना को ठेके पर भी दे सकती है।

इस योजना के अंतर्गत यदि ग्राम पेय जल समिति चाहे तो अपनी ओर से नल के घरेलू कनेक्शन भी उपभोक्ताओं को दे सकती है। इसके लिए उसे प्रत्येक परिवार से जल प्रदाय शुल्क के रूप में प्रति माह राशि वसूल करने का अधिकार है। जनता जल योजना के रख-रखाव के लिए भी समिति को प्रत्येक उपभोक्ता से राशि वसूल करने का अधिकार दिया गया है। इस तरह उपभोक्ताओं से प्राप्त की गई आय समिति की ही होगी। सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा।

पेय जल योजनाओं के निर्माण, संचालन तथा रख-रखाव के कार्यों को जनता के हाथों में सौंपने की दिशा में जनता जल योजना एक सराहनीय प्रयास है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्या का निश्चित तौर पर समाधान हो जाएगा।

राजस्थान के आदिवासी जनसंख्या बहुल डूंगरपुर जिले में तो पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में ऐसी योजनाओं को 1992-93 से ही अपना गांव-अपना काम योजना में प्रारम्भ कर दिया गया था। गत दो वर्षों में डूंगरपुर जिले के भेमई, करावाड़ा, जसेला, पारड़ों का मेहता तथा राम सौर गांवों में ग्रामीणों ने अपनी पेय जल योजनाओं का निर्माण स्वयं ही कर लिया है। इन पांचों गांवों की जल प्रदाय योजनाओं का संचालन स्वयं ग्राम विकास समितियां ही कर रही हैं। ग्राम विकास समितियों ने घरेलू नल कनेक्शन दिए हैं तथा उपभोक्ताओं से प्रतिमाह जल शुल्क वसूल किया जाता है।

डूंगरपुर जिले में तो 78 महिलाओं को हैण्डपम्प मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया है। ये महिलाएं अब अपने-अपने गांवों में खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत का कार्य कुशलतापूर्वक कर रही हैं। दूसरी तरफ स्वच्छता परियोजना ने जिले में 250 हैण्ड पम्प केयरटेकर भी नियुक्त किए हैं। ये केयरटेकर अपने-अपने गांवों में हैण्ड पम्पों की देखभाल करते हैं। इन्हें परियोजना ने आवश्यक औजार भी उपलब्ध कराए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्पों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी ग्रामीणों को ही सौंपने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए प्रत्येक हैण्ड पम्प के लिए समिति गठित कर प्रतिमाह प्रत्येक हैण्ड पम्प उपभोक्ता से एक-एक रुपये का शुल्क वसूल किया जाना चाहिए ताकि वे हैण्ड पम्प को अपना समझ सकें।

जिला सूचना और जन सम्पर्क अधिकारी,
डूंगरपुर-राजस्थान

सफलता की कहानी

चेतना

✍ अखिल कुमार नामदेव

यह सत्यकथा है एक ऐसी नारी की जिसने नियति के साथ संघर्ष कर के अपना ही नहीं, दूसरी कई महिलाओं का भाग्य बदल दिया है।

मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले के मक्सी नगर की 40 वर्षीया श्रीमती रुक्मणी जायसवाल का विवाह सन् 1970 में ग्राम झोकर निवासी राधेश्याम जायसवाल के साथ हुआ था, जिनकी देशी शराब के ठेके की दुकान थी। पति को शराब की लत थी। इस कारण वे घर का ध्यान नहीं रखते थे। कुछ समय बाद पति ने शराब की दुकान बन्द कर दी, फलस्वरूप खाने के भी लाले पड़ गए।

श्रीमती रुक्मणी ने इन हालातों से जूझते हुए सन् 1972 में हायर सेकेन्डरी पास की। हालात और बिगड़ने पर श्रीमती रुक्मणी ससुराल के विरोध के बाद भी मक्सी आ गई और सिलाई का काम करके अपनी दुधमुंही बच्ची का पेट पालने लगी। उन्होंने अपने शिक्षित होने का लाभ लेते हुए पांच वर्ष तक विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन भी किया। इस बीच उनके दो बच्चे और हो गए थे, जिनका और अपने बेरोजगार पति का भरण पोषण करने में काफी कठिनाई हो रही थी।

हालात से संघर्ष करने को कटिबद्ध श्रीमती रुक्मणी जायसवाल ने अपनी जैसी ही कुछ और परेशान हाल महिलाओं से मिलकर स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रयास प्रारंभ किया।

उन्होंने जनवरी 91 में मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत 30 प्रारंभिक सदस्याओं और 3000 रुपये की प्रारंभिक जमापूंजी से मक्सी में 'चेतना महिला मण्डल' नाम की सहकारी समिति की स्थापना की। इस समिति ने किराए के एक कमरे में कपड़े व सिलाई मशीनें लाकर महिलाओं के सिले सिलाए वस्त्र तैयार करने शुरू किए। सिलाई की गुणवत्ता के कारण उन्हें मक्सी में ही अपने खरीदार भी मिल गए जो स्थानीय दुकानों के माध्यम से सिले सिलाए कपड़े ही बेचने लगे। समिति का रेडीमेड कपड़ों का धन्धा चल निकला। वर्ष 92-93 में 43,000 रुपयों का व्यापार हुआ।

श्रीमती रुक्मणी इससे ही चुप नहीं बैठी रहीं, उन्होंने अन्यावसायी कार्यक्रम की 'प्रतिष्ठा योजना' के अन्तर्गत मक्सी की 17 हरिजन महिलाओं को सितंबर 92 से छह माह की सिलाई की ट्रेनिंग देना प्रारंभ किया। ट्रेनिंग के बाद श्रीमती जायसवाल के प्रयासों से इन महिलाओं को दिसम्बर 93 में 50 प्रतिशत अनुदान के साथ सिलाई मशीनें भी प्राप्त हो गईं। ये महिलाएं 'चेतना महिला मण्डल' सहकारी समिति के सहयोग से अपने घरों में कपड़े सिल कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रही हैं।

श्रीमती रुक्मणी ने महिलाओं में साक्षरता के प्रचार-प्रसार के लिये करीब दो वर्ष पूर्व अनौपचारिक रूप से काम करना प्रारंभ किया था। मार्च 94 से श्रीमती रुक्मणी ने विधिवत रूप से प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएं आरंभ की जिसमें आज 32 महिलाएं पढ़ रही हैं।

श्रीमती रुक्मणी जायसवाल की संघर्ष क्षमता ने न सिर्फ उनका जीवन स्तर सुधारा है, बल्कि कई दूसरी परेशान हाल महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने में भी सहायता की है।

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी,
उज्जैन (म०प्र०)

ग्रामीण उपभोक्ता : शोषण से संरक्षण तक

✍ अजिताभ सिन्हा 'अजित'

"भारत गांवों का देश है।" यह उद्घोषणा गांधी जी की है जो राष्ट्रीय प्रगति के लिए योजनाओं को ग्राम्य सापेक्ष बनाने की आवश्यकता पर बल दिया करते थे। यह विडंबना ही है कि आजादी के चार दशक बाद भी गांधी जी का ग्रामीण अंचल गांधी जी के सपने को साकार नहीं कर पाया है।

ग्राहक के सम्बन्ध में गांधी जी के विचार सरकारी सेवा प्रतिष्ठानों में यथा रेलवे स्टेशन, बैंक, डाक घर, टेलीफोन घर जैसे स्थानों पर पढ़ने को मिल जाते हैं कि "ग्राहक हमारे प्रतिष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है हम उस पर निर्भर हैं, वह हमारे कार्य में बाधक नहीं है, वह हमारे कार्य का उद्देश्य है, वह हमारे व्यवसाय का बाहरी हिस्सा नहीं वरन अंदरूनी हिस्सा है, हम उसकी सेवा करके परोपकार नहीं कर रहे हैं बल्कि वह हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान कर हम पर परोपकार कर रहा है।" गांधी जी की यह उक्ति यथार्थ का कितना ही स्पष्ट चित्रण क्यों न करती हो भारतीय ग्राहकों को यह महत्वपूर्ण स्थान कभी नहीं मिल पाया। गांधी जी के कथन को व्यापारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने अपने व्यवहार में आत्मसात करने के बजाय उद्धरण या उक्ति बनाने में ज्यादा रुचि दिखाई।

यह यथार्थ है कि ग्रामीण अंचलों में उपभोक्ताओं को पूर्ण रूप से व्यापारियों और सरकारी कार्मिकों के रहमोकरम पर रहना पड़ता है। ग्रामीण ग्राहकों को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना पड़ता है जो निम्न स्तरीय होती हैं। मिलावट, घटिया, गुणवत्ताहीन, कम माप-तौल वाली वस्तुएं अधिक कीमत पर खरीदना ग्रामीण उपभोक्ताओं के जीवन की नियति बन चुकी है। नीम हकीम डाक्टर फर्जी दवा विक्रेता ग्रामीण क्षेत्रों में खुले आम मौत का उपहार बांट रहे हैं। कृषि सामग्री विक्रेताओं का भी यही हाल है।

एक ओर अर्थाभाव ग्रामीण उपभोक्ताओं के जीवन का अंग है तो दूसरी ओर गुणवत्तायुक्त वस्तुओं की अनुपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन को और शोषणयुक्त बना रही है।

सामान्य रूप से अधिकांश ग्रामीण प्रति दिन कमाते हैं और तभी अपनी आवश्यकताओं की सामग्री जुटा पाते हैं। अपने सीमित साधनों में ही उन्हें अपनी अधिकाधिक आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है। इस कारण वे गुणवत्ता को नजरअंदाज कर मूल्य पर अधिक ध्यान देते हैं। यही शोषण का प्रथम चरण है जिसका भरपूर लाभ उत्पादक और विक्रेता दोनों उठा रहे हैं।

उधार खरीदने की मजबूरी ग्रामीण उपभोक्ताओं को काफी महंगी पड़ती है। उनकी अशिक्षा, जागरूकता न होने के कारण हिसाब में गड़बड़ी, माप-तौल में हेरा-फेरी, मिलावटी, नकली, गुणवत्ताहीन वस्तुओं की मनमाने कीमत पर आपूर्ति करने में ग्रामीण साहूकारों को काफी मुनाफा मिलता है। इसी तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था ग्रामीण अंचलों में कारगर सिद्ध नहीं हो पाई है।

अब प्रश्न उठता है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता अपनी हालत में सुधार के लिए कुछ नहीं कर सकते ?

वास्तविकता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक उपभोक्ता के रूप में सुरक्षा का अधिकार, सूचना, चयन, शिकायत की सुनवाई, क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता शिक्षा तथा स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार प्राप्त है ताकि उपभोक्ता मानवीय ढंग से जीने का हक प्राप्त कर सके।

संरक्षण का वैधानिक प्रयास

आजादी के पूर्व तथा बाद में देश के उपभोक्ताओं को विभिन्न शोषण विधियों से संरक्षण प्रदान करने के लिए समय-समय पर अनेक कानून बनाए गए जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, बाट माप मानक अधिनियम 1976, एम० आर० टी० पी० अधिनियम प्रमुख है। ये सभी कानून समय-समय पर अनेक बार संशोधित भी होते रहे हैं। लेकिन इन सभी कानूनी प्रावधानों का विशेष व प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाता क्योंकि इनके कार्यान्वयन की पद्धति काफी जटिल है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन 1993

भारतीय न्याय व्यवस्था की आलोचना मुख्यतः तीन आधारों पर की जाती हैं : 1. समय का अपव्यय 2. अत्यधिक व्यय तथा 3. वकीलों की अनिवार्यता। सच्चाई भी यही है कि सामान्य न्याय

प्रणाली की प्रक्रिया काफी लम्बी है।

उपभोक्ता की शिकायतों का तेजी से निबटारा करने की आवश्यकता के अनुरूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया जिसमें संशोधन विधेयक 93 द्वारा संशोधन किया गया। इसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नांकित हैं :

- यह कानून सभी वस्तुओं/सेवाओं पर लागू होता है तथा यह इस समय लागू किसी अन्य कानून को बाधित या सीमित नहीं करता है बल्कि यह उनके अलावा है।
- इसके प्रावधानानुसार जिला, राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर हर जिले, प्रत्येक राज्य की राजधानियों और नई दिल्ली में उपभोक्ता फोरम/आयोग की स्थापना की गई है।
- यहां कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगता है। वकील की सेवा लेना भी अनिवार्य नहीं है तथा एक निश्चित अवधि तीन से पांच महीने के अन्दर शिकायत की सुनवाई होती है।
- जिला फोरम में पांच लाख तक की शिकायत, राज्य आयोग में पांच लाख से बीस लाख तक की शिकायत तथा राष्ट्रीय आयोग में बीस लाख से अधिक की शिकायत दायर की जाती है।
- इसमें एक बार अपील करने की भी सुविधा है।
- यह उपभोक्ता न्यायालय स्व-रोजगार में लगे उन उपभोक्ताओं की शिकायत पर भी निर्णय दे सकता है जो अपने भरण-पोषण के लिए कोई सामग्री खरीदते हैं यथा-ऑटो रिक्शा, प्रतिलिपिकरण यंत्र, अन्य उपकरण आदि।
- यह कानून दण्डात्मक उपबंधों की भी व्यवस्था करता है ताकि उपभोक्ता न्यायालय के निर्णय का परिपालन हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता शिक्षा

ग्रामीण उपभोक्ता का शोषण रोकने के लिए उपभोक्ता शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। इस कार्य में निम्नांकित बिन्दु सहायक सिद्ध हो सकते हैं :

1. स्कूली पाठ्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण विषयक अध्याय का समायोजन।
2. लोकप्रिय प्रसारण माध्यमों यथा रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से उपभोक्ता विषयक कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण।
3. मिलावटी, नकली, कम माप-तौल वाली गुणवत्ताहीन वस्तुओं की पहचान कराने हेतु पंचायत स्तर पर प्रदर्शन शिविर का आयोजन।
4. चौपालों, पंचायत भवनों पर गोष्ठी, चर्चा, नाटक, लोकगीत के कार्यक्रम का आयोजन।
5. ग्रामीण उपभोक्ता समिति के निर्माण को प्रोत्साहन।
6. शिक्षित ग्रामीण उपभोक्ताओं को कानूनी प्रशिक्षण तथा विषय सामग्री की निःशुल्क उपलब्धता।
7. ग्रामीण उपभोक्ता संगठनों के कार्यों को बढ़ावा देना तथा परामर्श सेवा उपलब्ध कराना।

संरक्षण के उपाय :

सौदेबाजी से बचें, सस्ते के लालच में न आएं, आवश्यकतानुसार ही खरीदें, छूट की लूट से सावधान रहना ही श्रेयस्कर है। मिलावटी वस्तुओं का ध्यान रखें, कम माप-तौल पर गहन नजर रखें, कोई ईंट पत्थर के बाटों का प्रयोग न कर पाए। व्यापारी सामान के साथ डिब्बा भी न तौल दे। बाट प्रमाणीकृत ही होना चाहिए। उधार लेने की आदत छोड़ें।

विज्ञापन के मायाजाल से बचें। अधिकाधिक आई०एस०आई० एवं एगमार्क वाली वस्तुएं ही प्रयोग में लाएं। ये गुणवत्ता वाली होती हैं। डिब्बा बन्द वस्तुओं का ही प्रयोग करें तथा अंकित मूल्य से अधिक एक पैसा भी न दें। पक्की रसीद लेना न भूलें तथा "स्थानीय कर" के नाम पर कुछ न दें। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तथा कर्तव्यों के प्रति सजग रहें।

उपभोक्ता आंदोलन के भागीदार बनें जिससे एक बड़ी उपभोक्ता शक्ति का निर्माण हो सके। आज की सबसे बड़ी आश्यकता अपने अधिकारों के प्रति ग्रामीण जनता में चेतना पैदा करना है तभी गांधी जी के सपनों का भारत बन पाएगा।

चित्रगुप्त नगर, खगड़िया
बिहार, पिन कोड-851204

मट्ठा-सेवन : स्वस्थ जीवन का सशक्त आधार

डॉ० विजय कुमार उपाध्याय,
प्राध्यापक, भूगर्भ, इंजिनियरी कॉलेज, भागलपुर-813210

मट्ठा, छाछ या तक्र का उपयोग हमारे देश में अनन्त काल से होता आ रहा है। रामायण तथा महाभारत काल में छाछ को उपयोग में लाए जाने की चर्चाएं मिलती हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को मक्खन तथा छाछ बहुत प्रिय थे। भारत के प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में मट्ठे के द्वारा अनेक रोगों को ठीक और नियंत्रित किए जाने के उल्लेख मिलते हैं। भावमिश्र द्वारा लिखित द्रव्यगुण की पुस्तक 'भावप्रकाश' का निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है:-

"न तक्र सेवी व्यथिते कदाचिन्न तक्र दग्धाः प्रभवन्ति रोगाः।
यथा सुराणाममृतं सुखाय तथा नराणां भुवि तक्रमातुः।।"

अर्थात् मट्ठा सेवन करनेवाले को कभी कोई तकलीफ नहीं होती तथा कभी कोई रोग उसे प्रभावित नहीं करता है। जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत सुख देनेवाला है, उसी प्रकार पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए तक्र का सेवन सुखकारक है।

आजकल भी भारत के अनेक भागों में मट्ठे का विविध ढंग से सेवन किया जाता है। पंजाब की लस्सी मशहूर है। लस्सी वस्तुतः छाछ का ही एक रूप है। अब तो देश के सभी भागों में गर्मी के मौसम में लोग चाव से लस्सी का सेवन करते हैं। बिहार में यदि दाल-भात के साथ लोग मट्ठा मिलाकर खाते हैं तो दक्षिण भारत में मट्ठे में नमकीन खीर (कर्ड राइस) बनाई जाती है।

चिकित्सा वैज्ञानिकों का विचार है कि दूध तथा दही की तुलना में मट्ठा कई दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। यह हल्का तथा सुपाच्य होने के साथ-साथ शरीर में स्थित विजातीय द्रव्यों को निकालने में दूध तथा दही की तुलना में अधिक सक्षम है। यही कारण है कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में मट्ठे को मृत्युलोक का अमृत कहा गया है।

दूध की किस्म के अनुसार मट्ठे के गुणधर्म भी अलग-अलग होते हैं। उदाहरणार्थ गाय के दूध से बने मट्ठे के गुण भैंस के मट्ठे से थोड़ा भिन्न पाए जाते हैं। रोगी को पथ्य देने के लिए गाय का ही मट्ठा उपयुक्त माना जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया गया है कि गाय का मट्ठा स्वादिष्ट, हल्का, अग्निदीपक, मधुर तथा पाचक है। यह त्रिदोष नाशक है। तले हुए व्यंजनों, मिठाइयों, मिर्च-मसाले तथा गरिष्ठ आहार को पचाने में यह बहुत सहायक है।

गाय के मट्ठे के रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि इसमें 3.2 से 3.4 प्रतिशत प्रोटीन, 4.6 से 5.2 प्रतिशत लैक्टोज, 0.5 से 1.1 प्रतिशत लैक्टिक अम्ल, 0.12 से 0.14 प्रतिशत कैल्शियम, 0.09 से 0.1 प्रतिशत फॉस्फोरस तथा 0.2 से 0.3 प्रतिशत लोहा मौजूद रहता है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में मैग्नेशियम, पोटाशियम, सोडियम, गंधक तथा अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। इसमें विटामिन बी-2 लगभग 30 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तथा अत्यल्प मात्रा में विटामिन ए भी पाया जाता है।

मट्ठा तैयार करने के लिए तीन भाग दही तथा एक भाग जल मिलाकर मथानी से अच्छी तरह मथा जाता है। मथने के कारण इसमें मौजूद वसा मक्खन के रूप में सतह के ऊपर तैरने लगता है जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है। रोगी को पथ्य के रूप में देने के लिए जो मट्ठा लिया जाए वह बिल्कुल ताजा होना चाहिए जिसमें खट्टापन न हो। थोड़ा-थोड़ा दही जमाकर दिन भर में तीन-चार बार मथ लेना चाहिए।

आजकल अनेक रोगों के उपचार के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक तथा प्राकृतिक चिकित्सक मट्ठा-कल्प चलाते हैं। मट्ठा-कल्प प्रारम्भ करने के लिए यह आवश्यक है कि शुरू में दो-तीन दिनों का उपवास रखा जाए अथवा फलों के रस का सेवन किया जाए। मट्ठा-कल्प के दौरान हर दो-दो घंटे पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मट्ठे का सेवन करना चाहिए। मट्ठे की मात्रा प्रतिदिन धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। उदाहरणार्थ प्रत्येक दो घंटे की खुराक में पहले दिन 25 मिलीलीटर, दूसरे दिन 50 मिलीलीटर, तीसरे दिन 75, चौथे दिन 100, पांचवें दिन 125, छठे दिन 150, सातवें दिन 175 तथा आठवें दिन 200 मिलीलीटर मट्ठा लिया जाना चाहिए। उसके बाद नौवें से ग्यारहवें दिन 250 मिलीलीटर, 12वें तथा 13वें दिन प्रत्येक खुराक में 300 मिलीलीटर मट्ठे का सेवन किया जाना चाहिए। चौदहवें दिन से प्रति 45 मिनट के अन्तराल पर 300 मिलीलीटर मट्ठे का सेवन करते रहना चाहिए। यह मट्ठा कल्प लगभग एक महीने तक चलाया जाता है। मट्ठे का सेवन प्रतिदिन सवेरे सात बजे शुरू किया जाता है तथा शाम को सात बजे समाप्त कर दिया जाता है। मट्ठा-कल्प के दौरान मट्ठा बिल्कुल

शेष पृष्ठ 44 पर

ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संचार माध्यमों का दायित्व

किरन सिंह

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर

देश और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय नव-निर्माण में भागीदार हो, राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि में सहायक हो, स्वस्थ और खुशहाल रहे, अपनी संतान का भविष्य बनाने में सक्षम हो, उन्हें रोटी कपड़ा और मकान सुलभ कर सके और स्वयं स्वावलंबी होकर प्रतिष्ठा और सम्मान की जिन्दगी बसर करे। यह तभी संभव है जबकि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिता रही एक तिहाई आबादी को स्वावलम्बी बनाने में सहायता की जाए।

ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओं – न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, मरुभूमि सुधार कार्यक्रम, खादी ग्रामोद्योग विकास, जवाहर रोजगार योजना, भूमि सुधार कार्यक्रम, साक्षरता अभियान – पर अमल के फलस्वरूप इनकी संख्या घटने की आशा थी, किंतु आबादी में वृद्धि के कारण इनसे अपेक्षित आशाएं अभी भी अपूर्ण हैं।

इस स्थिति को दूर करने के लिए जहां आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर बहुमुखी कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है वहीं संचार माध्यमों को जन-जागृति पैदा करने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिये। श्रव्य दृश्य प्रचार साधनों को नाटक, कहानी, वार्ता, चुटकुलों, नारों, भेंटवार्ता, परिसंवाद आदि के जरिये परिवार कल्याण आंदोलन पर बल देने की आवश्यकता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्ण साक्षरता सहायक होगी। समाचार पत्रों को आलेखों, चित्रों, कविताओं, व्यंग्य चित्रों और कथाओं के माध्यम से जन साधारण को बताना चाहिए कि परिवार वृद्धि के फलस्वरूप देश में समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं। जनसाधारण पर प्रभाव डालने वाले समाज के प्रबुद्ध वर्ग को पहले-पहल प्रभावित करना होगा। साक्षरता बढ़ाना अत्यन्त जरूरी है लेकिन साक्षरता की महिमा पर मात्र व्याख्यान देने के बजाय निरक्षर लोगों की आप बीती परेशानियों और नव साक्षरों की असाधारण उपलब्धियों को संचार माध्यमों द्वारा उजागर किया जाना अधिक उपयोगी होगा। समाचार पत्रों को गरीबों के बीच इस धारणा को भी दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए कि केवल सेब और अंगूर खाने से लोग बलशाली होते हैं। गाजर, मूली और तरह-तरह की साग सब्जियों में भी पोषक तत्व होते हैं, इससे एक ओर उनकी हीन भावना दूर होगी, दूसरी ओर लोगों को पौष्टिक आहार लेने की प्रेरणा मिलेगी।

हमे देखना है कि भूख की समस्या विकराल न बन जाए। भूमिहीनों को पशु पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, लघु और कुटीर उद्योग आदि के महत्व से परिचित करना होगा। लोकगीतों और भजनों के सहारे ज्ञान का प्रचार किये जाने की परम्परा का असर आज भी विलुप्त नहीं हुआ है। इसी कारण साधारण व्यक्ति आज भी तुलसीदास, कबीर, रहीम, अमीर खुसरो आदि के नीति सम्बन्धी दोहों के सहारे अनेक प्रकार की सीख लेते हुए देखे जा सकते हैं।

हरियाणा और पंजाब के किसान अब दूरदर्शन/आकाशवाणी के ग्रामीणों के कार्यक्रम को नियमपूर्वक सुनते/देखते हैं और बताई गई बातों पर अमल करते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के कई अन्य भागों के किसान आज भी पुराने तरीके की खेती करते हैं। लोकहित की बातें लोकभाषा में बतायी जाती हैं तो वे स्वतः दूर-दूर तक पहुंच जाती हैं।

कुल मिलाकर प्रचार माध्यम कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने का एक उत्तम साधन हैं। ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को गरीबी उन्मूलन के लिए अमल में लायी जा रही विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे से परिचित कराना चाहिए। इसके लिए प्रचार माध्यमों को समाज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायतों तथा ग्राम नेताओं से सहायता लेनी चाहिये।

अंत में यह कहना उचित ही होगा कि ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए प्रचार साधनों को अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी होगी।

नीम : एक अद्भुत और उपयोगी वृक्ष

✍ नरेश कौशिक, रवीन्द्र सिंह और वी. पी. सिंह
कृषि वानिकी विभाग,
चौ० च० सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
हिसार-125004

नीम भारत वर्ष में पाया जाने वाला एक सदाबहार, छायादार वृक्ष है। इसकी ऊंचाई 5 से 20 मीटर तक होती है। एक सुदृढ़ वृक्ष होने के कारण नीम भारत के शुष्क भागों में आसानी से उगाया जा सकता है। नीम सड़कों के किनारों व खेतों में कृषि वानिकी के तहत लगाया जाने वाला एक प्रसिद्ध वृक्ष है। यह वृक्ष शून्य डिग्री सेल्सियस से लेकर 49 डिग्री सैल्सियस तक तापमान वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। यह वृक्ष क्षारीय, पथरीली, रेतीली और कंकरीली यानी हर प्रकार की भूमि पर लगाया जा सकता है। नीम प्राकृतिक रूप से 450 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यद्यपि यह 250 मिलीमीटर वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।

रोपण विधि

नीम को बीज द्वारा उगाया जाता है। पके फलों से बीज निकाल कर उसकी एक दो सप्ताह में ही बीजाई कर देनी चाहिए। बीजाई पोलीथीन की थैलियों में करें। एक वर्ष का हो जाने पर इनको स्थायी स्थान पर जुलाई अथवा फरवरी के महीने में लगायें। कृषि वानिकी के तहत नीम को 8X8 मीटर के फासले पर लगाना चाहिये।

उत्पादन और उपयोगिता

दूसरे बहु उपयोगी वृक्षों की अपेक्षा नीम आर्थिक रूप से एक बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। लगाने के 35 से 40 वर्ष बाद लकड़ी के लिए इसकी कटाई की जा सकती है। इस वृक्ष की छाल भूरे सफेद रंग की और भीतरी लकड़ी लाल भूरे रंग की होती है।

नीम की लकड़ी सुगन्धित, कम भारी, ज्यादा चलने वाली होती है। इसके अतिरिक्त कीट इत्यादि भी इस पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकते। नीम की लकड़ी बीम, दरवाजे व खिड़की के फ्रेम, फर्नीचर, जहाज और किश्ती, पहिये की नाभि, पतवार, तेल, सिंगार के बक्से, खिलौने और कृषि के औजार आदि बनाने के काम आती है। सागवान (टीक) की तुलना में नीम की लकड़ी अधिक भारी और कठोर होती है। (तालिका 1)।

तालिका-1

टीक व नीम की लकड़ी की तुलनात्मक गुणवत्ता

गुण	गुणवत्ता सूची	
	सागवान	नीम
वजन	100	124
बीम की शक्ति	100	87
बीम की कठोरता	100	81
योग्यता	100	82
प्रकोप क्षमता	100	105
आकार धारण शक्ति	100	77
सतह कठोरता	100	129

स्रोत : सी. एस. आई. आर. (1985)

लकड़ी के रूप में एक गुणकारी वृक्ष होने के अलावा इस पेड़ के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। इसके बीज कई प्रकार की दवाओं व कीटनाशकों के लिए भी प्रयोग किये जाते हैं।

नीम के पत्ते, जोकि कड़वाहट के लिए जाने जाते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग होते हैं और हानिकारक कीट तथा बीमारियों को नियंत्रित करने में लाभदायक हैं। पत्ते दूसरे चारे के साथ मिलाकर पशुओं को भी खिलाये जाते हैं। देश के कुछ भागों में नीम के पत्ते बकरियों व गायों को दूध बढ़ाने के लिए खिलाये जाते हैं। उत्तरी भारत में नीम के वृक्षों की छंटाई सर्दी के मौसम में की जाती है, यद्यपि दक्षिण भारत में यह काम छाया को कम करने के लिए रबी और खरीफ की फसलों की बीजाई के समय किया जाता है।

(शेष पृष्ठ 44 पर)

भाबड़ घास लगाओ और आमदनी बढ़ाओ

*एस. पी. मित्तल
वरिष्ठ वैज्ञानिक

प्रकृति में विभिन्न प्रकार की घास होती हैं जिनका अधिकतर उपयोग पशुओं के चारे के लिए होता है। इनमें एक घास है भाबड़ (युलैलीओपसिसबाइनेटा), जिसे सबाई घास भी कहते हैं। यह एक बहूपयोगी घास है। जब इसकी कोपलें हरी होती हैं तो यह चारे के काम आती है और जब पक जाती है तो इसका उपयोग कागज व रस्सी बनाने में होता है। कहते हैं कि सबसे अच्छी किस्म का कागज भाबड़ से ही बनता है।

भाबड़ घास पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों तथा निचले ढलवा क्षेत्र में प्राकृतिक तौर पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण और उपयोगी घास है। इसे किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है। पथरीले तथा कमजोर खेतों में लगाने पर यह किसी भी दूसरी बारानी फसल से अधिक आय देती है। पहाड़ियों की तहलटी में ढलवा खेतों में ढलान के विपरीत दिशा में (कंटूर लाइन पर) लगाने से यह अधिक आय देने के साथ-साथ भूमि के कटाव को रोकने में भी सहायक होती है। भूमि संरक्षण के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी घास है। इसकी रूयेंदार जड़ें जमीन के नीचे एक जाल सा फैला देती हैं जिससे कि मिट्टी के कण आपस में बंधे रहते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं।

पहाड़ियों की ढालों और खड़ी पहाड़ियों पर भी इस घास को उगाया जा सकता है। पहाड़ों पर यह खैर, शीशम तथा कीकर आदि पेड़ों के बीच में भी होती है। एक बार लगने के बाद कई सालों तक इसे बार-बार काटकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।

भाबड़ घास उगाने की विधि

यह घास प्राकृतिक तौर पर बीज से पैदा होती है। इसके बीज अप्रैल-मई में पकने के बाद गिर जाते हैं। वर्षा के प्रारंभ होते ही बीज उग आते हैं तथा दो तीन वर्षों में घास का एक अच्छा खासा कलम्प बन जाता है। नई-नई कोपलें फूटने से यह कलम्प धीरे-धीरे आकार में बड़ा होता रहता है और घास की पैदावार बढ़ती रहती है।

परती भूमि या बेकार और पथरीली जमीन पर यह घास किसी भी अन्य फसल की तरह उगाई जा सकती है। इसे लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जंगल में उग रहे कलम्प से पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर छोटी-छोटी गुच्छियां बना लें जिसमें चार से छह पौधे हों और ऊपर के हरे हिस्सों को ऐसे काटें कि जड़ से ऊपर करीब 8 से 10 से. मी. रह जाएं। वर्षा आरंभ होते ही इन पौधों को 50 - 50 से. मी. की दूरी पर गड्ढा करके कतार में लगाएं। अच्छा तो यह है कि इसका पौधारोपण तब किया जाए जब धीमी-धीमी वर्षा हो रही हो। नाइट्रोजन खाद 50 कि. ग्राम प्रति हेक्टेयर डालने से पौधों की बढ़त अच्छी होती हैं। चूंकि यह घास जल्दी बढ़ती है और बार-बार काटी जाती है इसलिए आवश्यक है कि नाइट्रोजन की उपरोक्त मात्रा हर साल बरसात के दिनों में डालते रहें।

एक बार लगने के बाद इसे बहुत ही कम देख-रेख की जरूरत है। अगले वर्ष हो सकता है कि कुछ पौधों को फिर लगाने की आवश्यकता पड़े। निराई व गुड़ाई की जरूरत पहले या ज्यादा से ज्यादा दूसरे वर्ष पड़ सकती है। इसके बाद यह किसी और खर पतवार को जमने नहीं देती।

खेतों की मेंढ़ों पर भाबड़ घास

जिन किसानों के पास कम जमीन होती है वे अक्सर खेतों में मेंढ़ नहीं बनाते। उनके अनुसार जमीन का काफी हिस्सा मेढ़ में चला जाता है। परंतु ऐसा नहीं करने से वर्षा के दिनों में उनके खेत कट जाते हैं और उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। जो खाद डालते हैं वह भी फसल को नहीं मिलती। इस नुकसान को रोकने के लिए खेतों में छोटे-छोटे (45 से 60 से. मी. ऊंचे) बंद बनाना आवश्यक है। बंद में आई भूमि से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए बंद के ऊपर भाबड़ घास की दो या तीन कतार 50 से. मी. की दूरी पर लगा दें। लगभग दो या तीन वर्षों में यह घास सारे बंद को ढक लेगी।

दूसरे वर्ष से ही इस घास को काटना प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साल में दो बार काटा जा सकता है। पहली बार अक्टूबर-नवंबर में तथा दूसरी बार अप्रैल-मई में। पहली बार काटने में कुल उपज का लगभग 80 प्रतिशत प्राप्त होता है। इस समय काटी गई घास लगभग 90 से. मी. लंबी और बड़े रेशे वाली होती है जो कि कागज व रस्सी बनाने के लिये उपयुक्त है। इसमें लगभग 54 प्रतिशत सेल्यूयोज और 22 प्रतिशत लिगनिन होता

*केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27 ए, मध्यमार्ग, चंडीगढ़-160019

है तथा लगभग 41 प्रतिशत पेपर पल्प (कागज की लुगदी) प्राप्त होती है। उपज का बाकी भाग दूसरी बार काटने से प्राप्त होता है जिसे पशुओं के चारे में लाया जाता है।

भावड़ घास की रस्सी

प्रत्येक 50 मी. लंबे खेत के बंद से लगभग 84 कि. ग्राम सूखी घास प्रतिवर्ष मिलती है अर्थात् 672 कि. ग्राम प्रति हेक्टेयर, यदि खेत के चारों ओर लगायी जाए। सूखी घास से लगभग 80 प्रतिशत रस्सी निकलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 672 कि. ग्राम घास से 537 कि. ग्राम रस्सी बन सकती है। यदि चार रुपये प्रति कि. ग्राम के हिसाब से भी रस्सी बेची जाए तो कुल आमदनी लगभग 2148 रुपये प्रति हेक्टेयर आती है। यह आय फसल के अतिरिक्त होगी। खाली समय में किसान तथा उसके परिवार के लोग रस्सी बनाकर अतिरिक्त धन कमा सकते हैं।

परीक्षणों के आधार पर यह पता चला है कि यदि भाबड़ घास को फसल की तरह विभिन्न प्रकार की जमीन में बोया जाए तो अच्छी जमीन से 15 टन प्रति हेक्टेयर, ढलवा तथा कमजोर जमीन से 12 टन प्रति हेक्टेयर तथा पथरीली जमीन से 8 टन प्रति हेक्टेयर घास की उपज होती है। औसतन 12 टन हरी घास से 4.8 टन सूखी घास प्रति हेक्टेयर मिल सकती है जिससे 3.8 टन रस्सी बन सकती है और इसकी कीमत लगभग 15,360 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी। छोटे किसान जिनके पास न पानी का प्रबंध है और न ही पूरे वर्ष आय का कोई साधन है यदि एक या दो बीघा में भाबड़ घास लगाएं तो यह उनके लिए अतिरिक्त आय का साधन बन सकती है।

भाबड़ से रस्सी बनाने के लिए पैर से चलाने वाली तथा बिजली से चलने वाली दोनों तरह की मशीन उपलब्ध है। पैर से चलने वाली मशीन की कीमत लगभग 1200 रुपये है। इसके लिये सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण भी मिलता है।

पृष्ठ 40 का शेष

सादा लिया जाना चाहिए। उसमें नमक या शक्कर नहीं मिलाया जाता। मट्ठा कल्प की समाप्ति के दिन दोपहर तक ही मट्ठे का सेवन करना चाहिए। दोपहर के बाद बिना रेशेवाले फलों या हरी सब्जी का सेवन किया जाना चाहिए। धीरे-धीरे मट्ठे की मात्रा घटाई जानी चाहिए तथा फल और सब्जी की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। फिर धीरे-धीरे पके हुए अन्न का सेवन प्रारम्भ करना चाहिए।

मट्ठा-कल्प संग्रहणी या पेचिश में बहुत लाभदायक पाया गया है। इसके अलावा बवासीर, चर्मरोग, जलोदर, दमा, मधुमेह तथा संधिवात में भी मट्ठा-कल्प से पाचन तंत्र स्वास्थ्य तथा दृढ़ रहता है तथा उनकी शिथिलता या निष्क्रियता समाप्त हो जाती है। शरीर से विजातीय द्रव्यों को निकालकर उसे शुद्ध करने के दृष्टिकोण से मट्ठा बहुत उपयोगी पाया गया है।

पृष्ठ 42 का शेष

नीम का पौधा रोपण के 5-6 साल बाद बीज देना शुरू कर देता है और एक वर्ष में औसतन 25 किलोग्राम बीज प्रतिवृक्ष के हिसाब से देता है। औसतन 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से एक वृक्ष 50 रुपये के बीज पैदा करता है और एक हेक्टेयर में 150 से 200 वृक्ष एक वर्ष में 10,000 रुपये की पैदावार देते हैं, जोकि कई कृषि फसलों से अधिक होती है। नीम का तेल साबुन बनाने के काम भी आता है। नीम खल (नीमकेक), पशु आहार, खाद कीटनाशक और फीताकृमिनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। खल केवल चेतनायुक्त नाइट्रोजन ही नहीं देता बल्कि खेत में प्रयोग करने से पहले यूरिया खाद के साथ मिलाये जाने पर नाइट्रीफिकेशन में भी बाधा पहुंचाता है। इस प्रकार नीम की परत चढ़ाने से 30 प्रतिशत व्यर्थ जाने वाली नाइट्रोजन की जरूरत की पूर्ति होती है। नीम के पत्ते जब अपने आप जमीन पर गिरते हैं तो वे भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं और जमीन के पी. एच. मान को भी कम करते हैं।

पर्यावरण सुरक्षा

नीम से बनाए जाने वाले कीटनाशक सुरक्षित और अविषैले होते हैं तथा कृषि फसलों पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। नीम के बीजों, पत्तों और खल से कीटनाशक तैयार करना बहुत ही आसान है और किसान इन उत्पादों का आम जीवन में बिना किसी कीमत के सीधा प्रयोग कर सकते हैं। नीम के उत्पाद फसल बचाव करके वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं और भोजन को विषाक्त नहीं होने देते। इसके साथ-साथ नीम उत्पादक विषैले कीटनाशकों की मांग को कम करते हैं, जिससे उद्योग धंधों से फैलने वाली कार्बन-डाई-आक्साइड की बहुतायत में कमी आती है।

अतः इन सब बातों से स्पष्ट है कि नीम हमारे जीवन में प्रकृति का एक वरदान है।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत छह करोड़ से ज्यादा दिहाड़ियों का रोजगार

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 6.38 करोड़ से भी अधिक दिहाड़ियों का रोजगार जुटाया जा चुका है। एक करोड़ 41 लाख श्रमदिवस का सबसे अधिक रोजगार आंध्र प्रदेश में, दूसरे स्थान पर 63.95 लाख श्रमदिवस का रोजगार मध्य प्रदेश में और 54.06 लाख श्रमदिवसों का रोजगार उड़ीसा में जुटाया गया है। अब तक 17,695 कार्य पूरे किए जा चुके हैं और 33,629 कार्यों पर काम चल रहा है।

बीस राज्यों और तीन केन्द्रशासित प्रदेशों में इस योजना के अंतर्गत 58 लाख व्यक्ति पंजीकृत किए जा चुके हैं। सबसे अधिक 10 लाख 40 हजार व्यक्ति कर्नाटक में, दूसरे स्थान पर 10 लाख 9 हजार व्यक्ति मध्य प्रदेश में और 6 लाख 45 हजार व्यक्ति आंध्र प्रदेश में पंजीकृत किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र द्वारा 1994-95 के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिसमें से 639.56 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इस योजना में केन्द्र और राज्यों का हिस्सा 80:20 के आधार पर होता है।

2 अक्तूबर 1993 को शुरू की गई इस योजना को 261 जिलों के 1778 ब्लाकों में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच के ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

डाक-तार पंजीकरण संख्या : (डी (डी एल) 12057/94
पूर्व भुगतान के बिना डी. पी. एस. ओ. दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

P & T Regd. No. D (DL) 12057/94
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at DPSO, Delhi-54

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली - 110001 द्वारा प्रकाशित और आकाशदीप प्रिन्टर्स, नई दिल्ली - 110002 द्वारा मुद्रित